

JOINT INSPECTION REPORT

IN THE MATTER

OF

OA NO-1007/2019

Priyanka modern Sr. Secondary School

Applicant (S)

V/S

Uttar Pradesh Pollution Control Board & Ors.

Respondent (S)

DATE OF INSPECTION – 10-12-2019

Background:-

The Hon'ble NGT(PB), New Delhi order dated 13/11/2019 mentioned that Grievance in this application is against operation of boilers of distillery unit operated by M/s Dhampur Sugar Mills in District Bijnor, Uttar Pradesh. The same is affecting the health of the students in the vicinity. Let the Uttar Pradesh State Pollution Control Board (UPSPCB) and the District Magistrate, Bijnor look into the matter, take action in accordance with law and furnish a factual and action taken report in the matter within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in. A copy of this order be sent to the UPSPCB and the District Magistrate, Bijnor by e-mail for compliance. The applicant may furnish a set of papers to the UPSPCB and the District Magistrate, Bijnor and file affidavit of service within one week. List for further consideration on 27.01.2020.

In compliance of the above Hon'ble NGT order dated 13/11/2019 a committee was constituted by District Magistrate District Bijnor by office order No. 1128/D-5/Bijnor-2019 dated 18-11-2019 (annexed as Annexure-1). The committee consists of following three departmental members:

1. Chief Medical Officer, District-Bijnor
2. SDM, Dhampur, District-Bijnor
3. Regional Officer U.P. Pollution Control Board, Bijnor

Alleged Industry M/s Dhampur Sugar Mills Ltd. Dhampur, Bijnor and Priyanka Modern Senior Secondary School Dhampur, Bijnor was inspected by Additional CMO Bijnor, SDM Dhampur, UPPCB (AEE Bijnor) & UPPCB (RO Bijnor) on December 10th 2019. The above industry was also inspected by District Magistrate Bijnor on dated 28.12.2019. Photographs annexed as Annexure-2. The observation of the team is as follows-

1. M/S Dhampur Sugar Mills Ltd., Dhampur, District-Bijnor have a Sugar unit (cane crushing capacity 14000 T.C.D.), distillery unit (capacity 200 KL / day) and co-generation power plant (capacity 60 MW) in their premises.
2. M/S Dhampur Sugar Mills Ltd. (Sugar Unit), Dhampur, District-Bijnor has been established & operated since the year 1933, M/S Dhampur Sugar Mills Ltd. (Distillery Unit) since year 1991 and Co-Generation Power Plant since year 2006.

[Handwritten signatures and initials]

3. Priyanka Modern School, Dhampur, Bijnor is situated near the premises of M/s Dhampur Sugar Mills Ltd. (Distillery Unit), Dhampur, District-Bijnor. In the premises of the Priyanka Modern School, there are three institutions, namely Priyanka Modern Senior Secondary School, Priyanka College of Medical Science & Research Center and Priyanka College of Professional Education. The main gate of the school is located opposite side of the industry near the Dhampur-Moradabad road (State Highway-49) and the back side of the school, in which Priyanka College of Medical Science and Research Center is located towards the distillery unit. The location map is annexed as Annexure-3.
4. According to the letter dated 10.12.2019 (annexed as Annexure-4) provided by Priyanka Modern School, Priyanka Modern Senior Secondary School has been established since April, 1994 and the present strength of the school is 4014 students. Priyanka College of Medical Science and Research Center has been established since July 2012, the present strength is 220 students. Priyanka College of Professional Education has been established since September 2014 & the present strength is 100 students.
5. M/s Dhampur Sugar Mills Ltd. (Distillery Unit), Dhampur, District-Bijnor produces rectified spirit/extra neutral alcohol/absolute alcohol/ethyl acetate-200 KI/ day by using molasses as a raw material. At the time of inspection industry was found in operation.
6. The distillery unit has the infrastructure for management of spent wash to achieved Zero Liquid Discharge (ZLD), the units are lagoon, two multi effect evaporator (capacity 1400 cubic meter/day, 1260 cubic meter/day), condensate polishing unit (CPU), 75 ton /hour capacity slop fired boiler and bio composting area (total area - 16 acres) respectively. During the inspection, all units were found in operation.
7. The Sugar industry has two boiler (capacity 170 TPH each) for steam generation with Air Pollution Control System (Electro-Static Precipitator) attached with the common stack of 90 meter height from the ground level. About 90 Ton/hr bagasse is used as fuel in both boilers. The Air Pollution Control system was found in operation at the time of inspection.
8. The Distillery unit has Slop fired Boiler of steam generating capacity 75 Ton/hr with Air Pollution Control System (bag filter) attached with stack of 84 meter height from ground level. In above boiler fuel uses as concentrated spent wash 25.5 KI/hr with Bagasse-13.7 MT/ hr or Coal 08.1 MT/hr. The Air Pollution Control system was found in operation at the time of inspection.
9. M/s Dhampur Sugar Mills Ltd. (Distillery Unit), Dhampur, District-Bijnor has obtained NOC from Uttar Pollution Control Board vide letter no. 139/ NOC -287/ Bijnor-17 dated 02.05.2017 for the installation of Slop fired Boiler (capacity 75 TPH) in the premises of distillery unit, copy of NOC is annexed as Annexure-5. The distillery unit has also obtained the permission from the Director of Boilers, Uttar Pradesh Kanpur to the installation and operation of its Boiler (capacity 75 TPH) in the premises of the factory. The copy of said letter provided by the industry is annexed as Annexure-6.
10. M/s Dhampur Sugar Mills Ltd. (Distillery Unit), Dhampur, District-Bijnor has obtained Environmental clearance for the expansion of the distillery unit from 200 KI / day to 350 KI / day from the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India vide letter no. J -11011/586/2017 -I A-II (I) dated 20. 03. 2019. A copy of the said letter is annexed as Annexure-7. At Present the distillery unit is operating at capacity 200 KI/day of alcohol production.
11. The boundary wall of Priyanka College of Medical Science and Research Center is about at 100 meters distance, the back gate of it is about 125 meters distance and the building of educational institute is about at 135 meters away from the 75 Ton/hr slop fired boiler of the distillery unit.

Annexure-7

M. Hussain

[Signature]

[Signature]

12. To control the emission of bagasse particles from the industry, a green net has been installed approximately 7 meter height and 200 meter in length towards Priyanka Modern School and 03 number of water spray gun was also installed for water spraying. At the time of inspection, the water spray gun was found in operation.
13. M/s Dhampur Sugar Mills Ltd. (Sugar and Distillery Unit), Dhampur, District-Bijnor has obtained consent Air & Water from the Uttar Pradesh Pollution Control Board, which is valid till 31.12.2019 and further applied to renew of consent Air & Water, which is under process in the Board, a copy is annexed as Annexure-8.
14. Regarding the health of students in Priyanka Modern School Dhampur, Bijnor and the health of villagers nearby industry, a letter dated 14.01.2020 has been received in this office from CMO Bijnor (Copy is annexed as Annexure-9). According to the letter, health check-up of 75 students of Priyanka College of Professional Education, 3010 students of Priyanka Sr. Secondary School, Priyanka College of Medical Science & Research Center and 155 villagers has been done. Disease of students and villagers is classified as below:

Health Examination result of Priyanka College of Professional Education (75 Students)-

- 1) Irritation in eyes found in 18 students.
- 2) Respiratory disease found in 1 student (Upper Respiratory Tract Infection)
- 3) Headache found in 3 students.
- 4) Cough found in 4 students.
- 5) Abdominal pain found in 1 student.
- 6) Body ache found in 1 student.

Health Examination result of Priyanka Sr. Secondary School and Priyanka College of Medical Science & Research Center (3010 Students)

- 1) Irritation in eyes found in 12 students.
- 2) Dyspnea (Respiratory problem) found in 3 students.
- 3) Headache found in 1 student.
- 4) Allergy found in 1 student.

Health Examination result of Villagers (155), nearby Industry

- 1) Eye irritation found in 6 villagers.

15. In compliance of the above order and in the view of nature, of complaint a letter dated 28.11.2019 & 03.01.2020 was sent to the regional office, U.P. Pollution Control Board, Moradabad for monitoring of stack and Ambient air quality. Monitoring reports were received from the Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Moradabad. Annexure- 10, 11, 12, 13. The stack and ambient air quality monitoring results are as follows;

Table-1- Stack Emission Monitoring Result

SN.	Date of monitoring	Name of the plant/ Stack Identification	Air Pollution Control System installed	SPM Result (mg/Nm ³)	Standard Limit mg/Nm ³
1	11.12.2019	Sugar Unit Boiler (170 TPH X 2)	Electrostatic Precipitator & common stack height 90 Mt.	86.42	150
2	18.12.2019	Distillery Unit Slop Fired Boiler (75 TPH)	Bag Filter & stack height 84 Mt.	48.07	50

Table-2 Ambient Air Quality Monitoring result


SN.	Date of monitoring	Location	SO _x Result (µg/m ³)	Std. for (µg/m ³)	NO _x Result (µg/m ³)	Std. for (µg/m ³)	RSPM Result (µg/m ³)	Std. for (µg/m ³)
1	11.12.2019	Priyanka modern School Campus	54.0	80.0	59.0	80.0	208.59	100.0
2	05.01.2020	Priyanka modern	42.0		33.0		197.96	


[Handwritten signatures and initials]


		School Campus					
3	05.01.2020	Dhampur Mills Dhampur, Administrative Building	Sugar Ltd.,	43.0	36.0	159.66	
4	05.01.2020	Dhampur Mills Dhampur,Near DM Plant	Sugar Ltd.,	42.0	14.0	182.12	
5	05.01.2020	Dhampur Mills Dhampur,ETP Plant	Sugar Ltd.,	23.0	17.0	132.13	


As per the stacks monitoring reports the parameter SPM of the stacks was found within the prescribed norms, but the value of RSPM at different points within industrial premises and Priyanka Modern School were found more than the prescribed norms. The main reason of the above limit of RSPM value in ambient air quality is due to handling of bagasse, heavy vehicular movement, fly ash handling in the Industry & heavy vehicular traffic on the State Highway-49 nearest the Priyanka Modern School. Hence, the following directions should be given to M/s Dhampur Sugar Mills Ltd. (Sugar & Distillery Unit) Dhampur, District-Bijnor to improve Ambient Air Quality in the premises of the industry and nearby area.

1. The operation and maintenance of air pollution control systems should be ensured by the industry in such a way so that the ambient air quality remains in accordance with the prescribed norms.
2. The industry should make permanent wall/structure of adequate height and automatic water sprinkler etc. to ensure dust control towards the Priyanka Modern School.
3. The conveyor belts of bagasse should be kept 100 percent covered, so that dust emission from this source may be maintained within prescribed limits.
4. The vehicles carrying fuel (bagasse) in the industry premise should be covered with green net /cloths.
5. It should be ensured by the industry that proper water sprinkling on the bagasse is to be done in such a way so that ambient air quality may be within prescribed limits.
6. Unit should develop dense Green Belt of tree towards Priyanka Modern school boundary.
7. Industry should operate in such a manner so that there is no adverse impact on the environment and public health in surrounding.


(Dr. Rohtash Kumar)
Additional CMO
Bijnor


(Mahir Husain)
Assistant Env.
Engineer, UPPCB


(J. P. Maurya)
Regional Officer,
UPPCB


(Dharendra Singh)
SDM, Dhampur
Bijnor

District Magistrate, Bijnor


14/01/20
जिलाधिकारी
बिजनौर



Green net and water sprinkler system (Water Spray Gun) installed by industry towards Priyanka Modern School (Photograph dated 10.12.19)

Mishra
Asst. VAO

[Signature]
Asst. VAO

[Signature]
SDM (1)



Stack of 75 TPH Slop Fired Boiler of Distillery Unit and Priyanka Modern School building (Photograph dated 10.12.19)



**Main gate of Priyanka Modern Senior Secondary School
(Photograph dated 10.12.19)**

M. Madan *[Signature]* *[Signature]*
SDM CO 1





**Campus of Priyanka Modern Senior Secondary School
(Photograph dated 10.12.19)**

M. Mohan
AEE, VADLB

P. Singh
RECORDS

SD
SDM(S)



Inspection of M/s Dhampur Sugar Mills Ltd. Dhampur, Bijnor by District Magistrate, Bijnor (Photograph dated 28.12.19)

M. Husain
AEE, U.P.C.B.

Rajendra
Rajendra

SDM
SDM (D)

-कार्यालय-आदेश-

2

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित वाद सं0-1007/2019 प्रियंका मार्डन सीनियर सेकण्डरी स्कूल बनाम उ0प्र0 पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-13.11.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके मुख्य अंश निम्नवत् है :-

"Grievance in this application is against operation of boilers of distillery unit operated by M/s Dhampur Sugar Mills in District Bijnor, Uttar Pradesh. The same is affecting the health of the students in the vicinity.

Let the Uttar Pradesh State Pollution Control Board (UPSPCB) and the District Magistrate, Bijnor look into the matter, take action in accordance with law and furnish a factual and action taken report in the matter within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in.

A copy of this order be sent to the UPSPCB and the District Magistrate, Bijnor by e-mail for compliance.

The applicant may furnish a set of papers to the UPSPCB and the District Magistrate, Bijnor and file affidavit of service within one week. List for further consideration on 27.01.2020."

उक्त आदेश के अनुपालन में संयुक्त जांच हेतु जनपद स्तर पर निम्न विभागीय अधिकारियों की टीम का गठन किया जाता है :-

1. मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला-बिजनौर।
2. उपजिलाधिकारी, धामपुर, बिजनौर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बिजनौर।

उपरोक्तानुसार संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन में वादित प्रकरण का निरीक्षण कर संयुक्त जांच आख्या अतिशीघ्र अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, जिससे कि अनुपालन आख्या मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को समय से प्रेषित की जा सकें।

जिला मजिस्ट्रेट
बिजनौर

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर

पत्रांक-1128/D-5/जनरल-2019

दिनांक-18-11-2019

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला-बिजनौर।
2. उपजिलाधिकारी, धामपुर, बिजनौर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बिजनौर को इस निर्देश के साथ कि समिति के सदस्यों से समन्वय स्थापित कर निर्धारित समयावधि में जांच की कार्यवाही को पूर्ण करते हुए संयुक्त जांच आख्या अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

19/11/19

dc

18/11/19
जिला मजिस्ट्रेट
बिजनौर



Location Map of M/s Dhampur Sugar Mills Limited (Distillery Unit) and Priyanka Modern School, Dhampur Bijnor

PRIYANKA MODERN SCHOOL

(Registered Under Society Act.)

Naurangabad, Dhampur, Distt.- Bijnor (U.P.) Pin-246761

Website : www.pmsdhampur.com

e-mail : - pms_dhampur@rediffmail.com

Fax No. 01344-222076

Ref.....

Date...10-12-2019

1. The Priyanka Modern Sr. Sec. School established on April 1994. The Present strength of the school is 4014 students on 10th December 2019.
2. The Priyanka College of Medical Science and Research Center established on July 2012 present strength is 220 Students on 10th December 2019.
3. The Priyanka College of Professional Education established on September 2014 present strength is 100 Students on 10th December 2019.

For
Manager
Priyanka Modern School
Naurangabad, Dhampur



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बिजनौर

108/11 आवास विकास कालोनी, बिजनौर -246701

सन्दर्भ सं० : 139/N.O.C-287/बिजनौर-14

दिनांक : 02-05-2017

सेवा में,

मैसर्स धामपुर शुगर मिल्स लि०
(आसवनी इकाई), धामपुर,
बिजनौर।

विषय-75 टन/घंटा स्लोप ब्वायलर के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त के संबंध में अपने 75 टन/घंटा स्लोप ब्वायलर के प्रस्ताव के संबंध में इस कार्यालय द्वारा किये गये निरीक्षण दिनांक-26.04.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपके प्रस्ताव तथा इस कार्यालय की निरीक्षण आख्या पर सम्यक विचारोपरान्त आपके 75 टन/घंटा स्लोप ब्वायलर के प्रस्ताव पर निम्न शर्तों के साथ सैद्धान्तिक अनापत्ति दी जाती है :-

1. उद्योग द्वारा दोनों स्लोप ब्वायलर का संचालन नियमित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
2. दोनों ब्वायलर बन्द होने की दशा में उत्पादन कार्य बन्द कर दिया जाये। उद्योग द्वारा 75 टन/घंटा स्लोप ब्वायलर की चिमनी पर आनलाइन कन्टीन्यूस इमीशन मानीटरिंग व्यवस्था स्थापित की जाये। उद्योग द्वारा बोर्ड अथवा बोर्ड से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से उक्त चिमनी की स्टैक मानीटरिंग कराकर नवीनतम अनुश्रवण आख्या बोर्ड में प्रेषित की जाये।
3. उद्योग द्वारा उत्पादन क्षमता में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी।
4. उद्योग द्वारा परिसर के बाहर किसी प्रकार का उत्प्रवाह का निस्तारण परिसर के बाहर न किया जाए। उद्योग द्वारा शून्य उत्प्रवाह निस्तारण व्यवस्था मेन्टेन रखी जाए।
5. उद्योग द्वारा वायु प्रदूषण नियन्त्रण व्यवस्था का नियमित संचालन किया जाए।
6. उद्योग द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा प्रख्यापित चार्टर (केप) की शर्तों का अक्षरशः पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक अनापत्ति निरस्त कर दी जाएगी। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तों में संशोधन किया जाये अथवा निरस्त कर दिया जायें। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बंध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक-28.05.2017 तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जायें। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जायें अन्यथा सैद्धान्तिक अनापत्ति निरस्त कर दी जायेगी।

भवदीय,

(विवेक राय)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि-प्रभारी (वृत्त-7), उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

From:
DIRECTOR OF BOILER, U.P.
KANPUR

IE BOILER OWNER

Boiler / Economizer Registry No. UP-7692
M/s. Dhampur Sugar Mills Ltd.
Dhampur
Bijnore
Date 01.7.2019

You are allowed to work the above Boiler / Economizer Registry No. UP-7692
From 1.7.19 To 3.6.20 at the maximum working
pressure 56* kg / cm² pending the receipt of Certificate from the office
* fifty six

Place Dhampur

[Signature]
01-7-19
(S.K. GUPTA)
DIRECTOR OF BOILERS, U.P.
KANPUR

From:
DIRECTOR OF BOILER, U.P.
KANPUR

P.O. To

THE BOILER OWNER

Boiler / Economiser Registry No. UP-7692
M/s. Dhampur Sugar Mills Ltd.
Dhampur
Bijnore
Date 4/6/2018

You are allowed to work the above Boiler / Economiser Registry No. UP-7692
From 4/6/18 to 3/12/18 all the maximum working
pressure 56* kg / cm² pending the receipt of Certificate from the office.
* fifty six

Place Bijnore

* Remark: - Pl. offer your Boiler
for steam test before 3/12/18.

[Signature]
4/1/18
(S. K. Gupta)
DIRECTOR OF BOILERS U.P.
KANPUR

From: DIRECTOR OF BOILER, U.P.
KANPUR

To: THE BOILER OWNER

Boiler / Economizer Registry No. UP-7692
M/s. Dhampur Sugar Mills Ltd.
Dhampur
Bijnore
Date 01.7.2019

You are allowed to work the above Boiler / Economizer Registry No. UP-7692
From 1.7.19 To 3.6.20 at the maximum working
pressure 5.6* kg / cm² pending the receipt of Certificate from the office
* hfty six

Place Dhampur

[Signature]
01-7-19
(S.K. GUPTA)
DIRECTOR OF BOILERS, U.P.
KANPUR

7

F. No.J-11011/586/2017-IA-II(I)
Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(IA-II Section)

Indira Paryavaran Bhawan
Jor bagh Road, New Delhi - 3
Dated: 20th March, 2019

To

M/s Dhampur Sugar Mills Limited
Village Alhaipur, Tehsil Dhampur,
District Bijnor (UP)

Sub: Expansion of Molasses/Grain based Distillery from 200 KLD to 350 KLD by M/s Dhampur Sugar Mills Limited at Village Alhaipur, Tehsil Dhampur, District Bijnor (UP) - Environmental Clearance - reg.

Sir,

This has reference to your online proposal No.IA/UP/IND2/71876/2017 dated 27th September, 2018 along with the EIA/EMP report containing public hearing proceedings for the above mentioned project.

2. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change has examined the proposal for environmental clearance to the project for expansion of Molasses/Grain based Distillery from 200 KLD to 350 KLD by M/s Dhampur Sugar Mills Limited in an area of 160000 sqm located at Village Alhaipur, Tehsil Dhampur, District Bijnor (UP). The project also involves capacity enhancement of co-generation power plant from 3 MW to 10.5 MW.
3. Existing land area is 160000 sqm and no additional land shall be required for the proposed expansion. Green belt has been developed in 52600 sqm, out of the total project area. The estimated project cost is Rs.151.65 crores. Total capital cost earmarked towards environmental pollution control measures is Rs.70.13 crores and the recurring cost (O&M) will be about Rs.2.75 crores per annum.
4. There are no National parks, Wildlife Sanctuaries, Biosphere Reserves, Tiger/ Elephant Reserves, Wildlife corridors etc within 10 km from the project site. Khoh River flows at a distance of 3.2 km in North.
5. Total water requirement is estimated to be 5175 cum/day, including fresh water requirement of 2275 cum/day proposed to be met from ground water. Permission for ground water withdrawal of 2400 cum/day has been obtained from the CGWA vide letter dated 8th April, 2016. Effluent of 2775 KLD will be treated through MEE followed by incineration in slop fired boiler. There will be no discharge of treated/untreated waste water from the unit, and thus ensuring Zero Liquid Discharge.

Power requirement after expansion will be 10500 kVA proposed to be met from own captive power plant.

Existing unit has 40 TPH incineration boiler. One more incineration boiler of 75 TPH capacity shall be installed to meet the requirement for the proposed expansion. Bag filter with a stack of height of 84 m will be provided to control the particulate emissions within the statutory limit of 50 mg/Nm³ for the proposed boilers.

SB

Yeast sludge will be used in boiler, and boiler ash will be used for manure/brick making. Hazardous waste will be stored on site and sold to authorized recyclers.

6. The project/activity is covered under category A of item 5 (g) 'Distilleries' of the Schedule to the Environment Impact Assessment Notification, 2006 and requires appraisal/approval at Central level in the Ministry.
7. The ToR for the project was granted on 28th January, 2018. Public hearing was conducted by the Uttar Pradesh Pollution Control Board on 28th May, 2018.
8. The proposal for environmental clearance was considered by the EAC (Industry-2) in its meeting held on 29-31 October, 2018 & 19-20 December, 2018. The project proponent and their accredited Consultant M/s Enviro Infra Solutions Pvt Ltd presented the EIA/EMP report as per the ToR. The Committee found the EIA/EMP Report to be satisfactory, in consonance with the presented ToR, and recommended the project for grant of environmental clearance.
9. Based on the proposal submitted by the project proponent and recommendations of the EAC (Industry-2), the Ministry of Environment, Forest and Climate Change hereby accords environmental clearance to the project for expansion of Molasses/Grain based Distillery from 200 KLD to 350 KLD by M/s Dhampur Sugar Mills Limited located at Village Alhaipur, Tehsil Dhampur, District Bijnor (UP), under the provisions of the EIA Notification, 2006, and the amendments therein, subject to compliance of the terms and conditions as under:-
 - (a) Consent to Establish/Operate for the project shall be obtained from the State Pollution Control Board as required under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.
 - (b) As already committed by the project proponent, Zero Liquid Discharge shall be ensured and no waste/treated water shall be discharged outside the premises.
 - (c) Necessary authorization required under the Hazardous and Other Wastes (Management and Trans-Boundary Movement) Rules, 2016, Solid Waste Management Rules, 2016 shall be obtained and the provisions contained in the Rules shall be strictly adhered to.
 - (d) To control source and the fugitive emissions, suitable pollution control devices shall be installed to meet the prescribed norms and/or the NAAQS. The gaseous emissions shall be dispersed through stack of adequate height as per CPCB/SPCB guidelines.
 - (e) Total fresh water requirement shall not exceed 2275 cum/day proposed to be met from ground water. Prior permission shall be obtained from the concerned regulatory authority/CGWA in this regard.
 - (f) The spent wash shall be taken to multi effect evaporators (MEE) and the concentrated spent wash shall be incinerated in the boiler along with bagasse.
 - (g) The distillery shall be permitted to operate throughout the year as proposed.
 - (h) Hazardous chemicals shall be stored in tanks, tank farms, drums, carboys etc. Flame arresters shall be provided on tank farm and the solvent transfer through pumps.
 - (i) Process organic residue and spent carbon, if any, shall be sent to cement industries. ETP sludge, process inorganic & evaporation salt shall be disposed off to the TSDF.

- (j) The Company shall strictly comply with the rules and guidelines under Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemicals (MSIHC) Rules, 1989 as amended time to time. All transportation of Hazardous Chemicals shall be as per the Motor Vehicle Act (MVA), 1989.
- (k) The company shall undertake waste minimization measures as below:-
- (i) Metering and control of quantities of active ingredients to minimize waste.
 - (ii) Reuse of by-products from the process as raw materials or as raw material substitutes in other processes.
 - (iii) Use of automated filling to minimize spillage.
 - (iv) Use of Close Feed system into batch reactors.
 - (v) Venting equipment through vapour recovery system.
 - (vi) Use of high pressure hoses for equipment clearing to reduce wastewater generation.
- (l) The green belt of 5-10 m width shall be developed in more than 33% of the total project area, mainly along the plant periphery, in downward wind direction, and along road sides etc. Selection of plant species shall be as per the CPCB guidelines in consultation with the State Forest Department.
- (m) All the commitments made regarding issues raised during the public hearing/consultation meeting shall be satisfactorily implemented.
- (n) At least 1% of the total project cost shall be allocated for Corporate Environment Responsibility (CER) and item-wise details along with time bound action plan shall be prepared and submitted to the Ministry's Regional Office.
- (o) For the DG sets, emission limits and the stack height shall be in conformity with the extant regulations and the CPCB guidelines. Acoustic enclosure shall be provided to DG set for controlling the noise pollution.
- (p) The unit shall make the arrangement for protection of possible fire hazards during manufacturing process in material handling. Fire fighting system shall be as per the norms.
- (q) Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.
- (r) There shall be adequate space inside the plant premises earmarked for parking of vehicles for raw materials and finished products, and no parking to be allowed outside on public places.
- (s) Storage of raw materials shall be either stored in silos or in covered areas to prevent dust pollution and other fugitive emissions.
- (t) Continuous online (24x7) monitoring system for stack emissions shall be installed for measurement of flue gas discharge and the pollutants concentration, and the data to be transmitted to the CPCB and SPCB server. For online continuous monitoring of effluent, the unit shall install web camera with night vision capability and flow meters in the channel/drain carrying effluent within the premises.
- (u) CO₂ generated from the process shall be bottled/made solid ice and sold to authorized vendors.

(v) There shall be adequate space inside the plant premises earmarked for parking of vehicles for raw materials and finished products, and no parking to be allowed outside on public places.

9.1 The grant of Environmental Clearance is further subject to compliance of other generic conditions as under:-

(i) The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the state Pollution Control Board (SPCB), State Government and/ or any other statutory authority.

(ii) No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. In case of deviations or alterations in the project proposal from those submitted to this Ministry for clearance, a fresh reference shall be made to the Ministry to assess the adequacy of conditions imposed and to add additional environmental protection measures required, if any.

(iii) The locations of ambient air quality monitoring stations shall be decided in consultation with the State Pollution Control Board (SPCB) and it shall be ensured that at least one stations each is installed in the upwind and downwind direction as well as where maximum ground level concentrations are anticipated.

(iv) The National Ambient Air Quality Emission Standards issued by the Ministry vide G.S.R. No. 826(E) dated 16th November, 2009 shall be complied with.

(v) The overall noise levels in and around the plant area shall be kept well within the standards by providing noise control measures including acoustic hoods, silencers, enclosures etc. on all sources of noise generation. The ambient noise levels shall conform to the standards prescribed under Environment (Protection) Act, 1986 Rules, 1989 viz. 75 dBA (day time) and 70 dBA (night time).

(vi) The Company shall harvest rainwater from the roof tops of the buildings and storm water drains to recharge the ground water and utilize the same for different industrial operations within the plant.

(vii) Training shall be imparted to all employees on safety and health aspects of chemicals handling. Pre-employment and routine periodical medical examinations for all employees shall be undertaken on regular basis.

(viii) The company shall comply with all the environmental protection measures and safeguards proposed in the documents submitted to the Ministry. All the recommendations made in the EIA/EMP in respect of environmental management, risk mitigation measures and public hearing shall be implemented.

(ix) The company shall undertake all measures for improving socio-economic conditions of the surrounding area. CSR activities shall be undertaken by involving local villagers, administration and other stake holders. Also eco-developmental measures shall be undertaken for overall improvement of the environment.

(x) A separate Environmental Management Cell equipped with full-fledged laboratory facilities shall be set up to carry out the Environmental Management and Monitoring functions.

SB

(xi) The company shall earmark sufficient funds towards capital cost and recurring cost per annum to implement the conditions stipulated by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change as well as the State Government along with the implementation schedule for all the conditions stipulated herein. The funds so earmarked for environment management/ pollution control measures shall not be diverted for any other purpose.

(xii) A copy of the clearance letter shall be sent by the project proponent to concerned Panchayat, Zila Parishad/ Municipal Corporation, Urban local Body and the local NGO, if any, from whom suggestions/ representations, if any, were received while processing the proposal.

(xiii) The project proponent shall also submit six monthly reports on the status of compliance of the stipulated Environmental Clearance conditions including results of monitored data (both in hard copies as well as by e-mail) to the respective Regional Office of MoEF&CC, the respective Zonal office of CPCB and SPCB. A copy of Environmental Clearance and six monthly compliance status report shall be posted on the website of the company.

(xiv) The environmental statement for each financial year ending 31st March in Form-V as is mandated shall be submitted to the concerned State Pollution Control Board as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently, shall also be put on the website of the company along with the status of compliance of environmental clearance conditions and shall also be sent to the respective Regional offices of MoEF&CC by e-mail.

(xv) The project proponent shall inform the public that the project has been accorded environmental clearance by the Ministry and copies of the clearance letter are available with the SPCB/Committee and may also be seen at Website of the Ministry at <http://moef.nic.in>. This shall be advertised within seven days from the date of issue of the clearance letter, at least in two local newspapers that are widely circulated in the region of which one shall be in the vernacular language of the locality concerned and a copy of the same shall be forwarded to the concerned Regional office of the Ministry.

10. The Ministry reserves the right to stipulate additional conditions, if found necessary at subsequent stages and the project proponent shall implement all the said conditions in a time bound manner. The Ministry may revoke or suspend the environmental clearance, if implementation of any of the above conditions is not found satisfactory.

11. The above conditions will be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Water Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, the Hazardous Waste (Management, Handling and Trans-boundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991, read with subsequent amendments therein.

8/11
20/3/2019

(S. K. Srivastava)
Scientist E

Copy to: -

1. The Additional Principal Chief Conservator of Forests, MoEF&CC, Regional Office (CZ) Kendriya Bhavan, 5th Floor, Sector H, Aliganj, Lucknow - 226020
2. The Principal Secretary, Department of Environment, Government of Uttar Pradesh, Sachivalaya, Bapu Bhawan, Adjacent to Vidhan Sabha, Lucknow - 226001 (UP)
3. The Member Secretary, Central Pollution Control Board, Parivesh Bhawan, CBD-cum-Office Complex, East Arjun Nagar, Delhi - 32

4. The Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board, PICUP Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow (UP)
5. Monitoring Cell, Ministry of Environment, Forest and Climate change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, New Delhi
6. Guard File/Record File/Notice Board

SK
20/3/2019
(S. K. Srivastava)
Scientist E

सिलेब्रेशन-01

मै0 धामपुर शुगर मिल्स लि0, (आसवनी इकाई), धामपुर, जनपद-बिजनौर



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी0सी0-12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक 1898

दिनांक 19/01/18

आसवनी सं०... D-5/बिजनौर-10

पंजीकृत

संदर्भ संख्या H14188 /सी-7/105/जल प्रदूषण/बिजनौर/2017 दिनांक: 27.12.17

सेवा में,

मै0 धामपुर शुगर मिल्स लि0,
(आसवनी इकाई), धामपुर, जनपद-बिजनौर।

विषय: जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-25/26 और इसके संशोधित अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत सहमति ।

महोदय,

कृपया अपने सहमति आवेदन पत्र सं० GM(C)/1023 दिनांक 27.09.2017 का संदर्भ लें जोकि बोर्ड में दिनांक 09.10.2017 को प्राप्त हुआ है। आपके सहमति आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया। सशर्त सहमति आदेश पत्रांक-190/24.12/18/105/2017 दिनांक: 27.12.17 संलग्न है। आपका ध्यान निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दिलाया जा रहा है।

- 1 सहमति शर्तों तथा निम्न बिन्दुओं का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।
- 2 यह सहमति मात्र 200 कि०ली० प्रतिदिन रेक्टिफाइड स्प्रिट/एक्सट्रा न्यूट्रल एल्कोहल/एब्साल्यूट एलकोहल/इथाइल एसीटेड उत्पादन एवं जनित औद्योगिक उत्प्रवाह (स्पेण्टवाश) को ईटीपी के माध्यम से शोधित कर भष्मीकृत एवं बायो कम्पोस्ट यार्ड (16 एकड़) में बायो कम्पोस्टिंग हेतु उपयोग किये जाने तथा शत-प्रतिशत शून्य उत्प्रवाह निस्तारण हेतु मान्य है।
- 3 आसवनी इकाई से किसी प्रकार का उत्प्रवाह उद्योग परिसर के बाहर निस्तारित नहीं किया जाए एवं शत-प्रतिशत शून्य उत्प्रवाह निस्तारण पद्धति का अनुपालन किया जाय।
- 4 स्पेण्टवाश का भण्डारण आर०सी०सी० लैगून में लाइनिंग में एचडीपीई लाइनिंग के साथ किया जाए तथा अधिकतम भण्डारित स्पेण्टवाश की मात्रा 05 दिन के उत्पादन से जनित स्पेण्टवाश से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- 5 स्टार्म वाटर हेतु पृथक ड्रेन की व्यवस्था गार्ड पान्ड के द्वारा सुनिश्चित की जाए।
- 6 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार शून्य उत्प्रवाह निस्तारण व्यवस्था की मानिटोरिंग हेतु स्थापित वैब कैमरे का समुचित रख-रखाव एवं संचालन तथा कन्वेटिविटी राज्य बोर्ड एवं सीपीसीबी के सर्वर से सुनिश्चित किया जाए।
- 7 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आसवनी इकाईयों हेतु शून्य उत्प्रवाह निस्तारण संबंधी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- 8 उद्योग द्वारा शून्य उत्प्रवाह निस्तारण व्यवस्था का संतोषजनक रख-रखाव सुनिश्चित किया जाए। संपूर्ण स्पेण्टवाश की मात्रा को मल्टी इफेक्ट इवैपोरेटर द्वारा सान्द्र कर बायो कम्पोस्ट में प्रयोग किया जाए।
- 9 उद्योग द्वारा एमईई के इनलेट तथा आउटलेट पर स्थापित किये गये मास्र फ्लो मी० का समुचित रख-रखाव एवं संचालन किया जाए तथा रिकार्ड मेनटेन किया जाए।
- 10 भूगर्भीय जल दोहन हेतु सेण्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथारिटी से निर्गत एनओसी दिनांक 08.04.2016 में अधिरोपित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

ASD/ACE-D
19.1.18

19/1/18

20/1/18

- मै० धामपुर शुगर मिल्स लि०, (आसवनी इकाई), धामपुर, जनपद-बिजनौर
- 11 प्रक्रिया से जनित अन्य प्रदूषित उत्प्रवाह जैसे स्पेण्ट लीज फ्लोर वाशिंग आदि का शोधन उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के माध्यम से करते हुए शब्दीकृत उत्प्रवाह को शत-प्रतिशत पुनः प्रयोग किया जाए।
 - 12 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्राविधानों तथा ओ०ए० सं० 200/2014 एम०सी० मेहता बनाम यूनियन आफ इण्डिया में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेश दिनांक 13.07.2017 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
 - 13 रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एवं भूजल स्तर की माप हेतु पीजो मीटर की स्थापना की जाए।
 - 14 आपको उद्योग की आडिट की हुई वर्ष, 2016-17 की बैलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अचल+वर्तमान-वर्तमान जिम्मेदारियों) का सत्यापित प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जाँच की जा सके।
 - 15 घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट के माध्यम से किया जाए।
 - 16 कृपया ठोस अवशिष्ट पदार्थों को इस प्रकार से निसतारित करना सुनिश्चित करें जिससे कि नदी, सरिता, भूमिगत जल या अन्य किसी स्रोत का जल प्रदूषित न हो।
 - 17 परिसर में 33 प्रतिशत भूमि क्षेत्र में हरित पट्टिका विकसित की जाए तथा परियोजना क्षेत्र के डाउन स्ट्रीम दिशा में समस्त दिशाओं में न्यूनतम 10 मी० की हरित पट्टिका विकसित की जाए।
 - 18 उद्योग द्वारा कार्पोरेट इन्वायरमेन्ट रिसपान्सबिलिटी योजना 01 माह में जमा की जाए।
 - 19 उद्योग का पर्यावरणीय वक्तव्य निर्धारित समयवधि में बोर्ड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
 - 20 उद्योग के विरुद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बन्दी आदेश निर्गत किये जाने की स्थिति में उद्योग के संचालन हेतु निर्गत सहमति बन्दी की अवधि में स्वतः निलम्बित रहेगी तथा उद्योग द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किये जाने पर उद्योग के बन्दी निक्षेपण किये जाने के साथ ही बन्दी निक्षेपण की अतिरिक्त शर्तों के साथ उद्योग की संचालन सहमति स्वमेव प्रभावी हो जाएगी।
- इस सहमति आदेश के अंकित प्राविधान तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा इसके अधिनियम, 1978 की धारा-27(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।
- सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

(अमित चन्द्रा)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त-7
तद दिनांक-

पृष्ठ संख्या-

प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर को सूचनार्थ एवं उक्त निर्देशों के अनुपालन में उद्योग द्वारा की गयी कार्यवाही का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जाना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी0सी0-12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

मात्र शून्य उत्प्रवाह निस्तारण पद्धति पर औद्योगिक उत्प्रवाह के शोधन हेतु
फार्म XV
सहमति आदेश पत्र

संदर्भ संख्या

190 सहमति/जल आदेश/2017

लखनऊ, दिनांक: 27.12.17

विषय: मैसर्स धामपुर शुगर मिल्स लि0, (आसवनी इकाई), धामपुर, जनपद-बिजनौर को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-25/26 के अन्तर्गत उत्प्रवाह निस्तारण हेतु सहमति।

संदर्भ :आवेदन पत्र संख्या- GM(C)/1023

प्राप्ति दिनांक 09.10.2017

1. औद्योगिक उत्प्रवाह का निस्तारण शून्य उत्प्रवाह निस्तारण पद्धति से उपचार के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 जिससे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, के अधीन सहमति प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त आवेदन पत्र के निर्देश में मैसर्स धामपुर शुगर मिल्स लि0, (आसवनी इकाई), धामपुर, जनपद-बिजनौर को औद्योगिक उत्प्रवाह को शून्य उत्प्रवाह निस्तारण पद्धति से उपचार किये जाने एवं किसी भी दशा में शोधित उत्प्रवाह का निस्तारण उद्योग परिसर के बाहर न किये जाने तथा घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण सैपटिक टैंक एवं सोकपिट के माध्यम से किये जाने के लिए अनुलग्नक में उल्लिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अनुसार बोर्ड द्वारा प्राधिकार दिया जाता है।
2. यह सहमति दिनांक 31.12.2019 तक की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।
3. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधानों तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा-27(2) के अन्तर्गत वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति बोर्ड आरक्षित रखती है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए और उसकी ओर से।
सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

(अमित चन्द्रा)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त-7


अनुलग्नक : संलग्नक ।

मै0 धामपुर शुगर मिल्स लि0, (आसवनी इकाई), धामपुर, जनपद-विजनौर

9. इस शर्तों का विशेष रूप से उत्प्रवाह शुद्धिकरण, उत्प्रवाह मापन, नमूना एकत्र करने की व्यवस्था, टर्मिनल मेनहोल व टर्मिनल निस्तारण बिन्दु के संबंध में दो माह या उससे पहले पूर्ण अनुपालन किया जाये।
10. बोर्ड से निर्गत सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर तथा उसके बाद प्रत्येक महीने की दस तारीख तक मासिक प्रगति आख्या, सहमति शर्तों की अनुपालन आख्या के साथ जरूर भेजें।
11. विस्तृत निर्माण स्थल, रेखाचित्र उत्प्रवाह ले जाने वाली पाइप लाइन की अनुदैर्घ्य काट व प्लान तथा शर्त 8 व 9 व 10 में वर्णित अन्तिम निस्तारण बिन्दु का रेखाचित्र इस सहमति आदेश के जारी करने के एक माह के भीतर बोर्ड को भेजें।
12. परिसर में एकत्र होने वाले बरसात, तूफान के जल को भली भाँति रखा जाये और किसी भी बिन्दु पर घरेलू व औद्योगिक अवशिष्ट से मिलने न दिया जाये। कच्चे माल, उत्पाद या अन्य कोई पदार्थ जो तूफानी जल के साथ बहकर जा सकते हो, का खुले में ढेर न लगाया जाये।
13. फैक्ट्री परिसर में उत्पन्न होने वाले सभी ठोस अपशिष्ट पदार्थों का भली भाँति वर्गीकरण व निम्न प्रकार-से निस्तारण किया जाये।
 - (i) अक्रिय पदार्थ होने पर उसका भूमि भराव के लिए इस प्रकार प्रयोग सुनिश्चित किया जाये कि रिसाव की स्थिति पैदा न हो जिससे कि वह भूमिगत जल में प्रवेश न करें या बरसाती, तूफानी जल के द्वारा बहा न दिया जाए।
 - (ii) ज्वलनशील कार्बनिक पदार्थ होने पर नियंत्रित प्रज्वलन किया जाये।
 - (iii) जैविक अवघट्य पदार्थ होने पर कम्पोस्टिंग की जाये।
14. विषैले पदार्थों का विषैलापन अगर संभव हो सके तो दूर किया जाये अन्यथा उन्हें बोर्ड की लिखित अनुमति प्राप्त कर सुरक्षित क्षेत्रों में मुहरबन्द स्टील ड्रम में रखा और दफनाया जाए। विषमुक्त करने या मुहरबन्द करने और दफनाने का कार्य बोर्ड के अधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में ही अनुमति लेकर किया जाय।
15. यदि फैक्ट्री के किसी संयंत्र/संयंत्रों में कोई दोषपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जिसके फलस्वरूप निस्तारित उत्प्रवाह की मात्रा बढ़ जाए और/या उपरोक्त पैरा-3 व 4 में वर्णित मानकों का उल्लंघन हो तो बोर्ड को टेलीग्राफिकली तथा ऑचलिक स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी को स्थिति बताते हुए सूचित किया जाए।
16. प्रार्थी फैक्ट्री के अन्दर व परिसर में अच्छा रख-रखाव स्थापित करें। सभी पाइप, वाल्व, सीवर और ड्रेन रिसावरोधी होने चाहिए। फर्श की धुलाई से जनित उत्प्रवाह, उत्प्रवाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश करना चाहिए और शर्त के अनुसार किसी बरसाती/तूफानी जल की नाली या खुले स्थान पर नहीं दिया जाना चाहिए।
17. प्रार्थी को टर्मिनल मेनहोल तथा अन्तिम निस्तारण बिन्दु पर बोर्ड के स्टाफ या बोर्ड द्वारा अधिकृत एजेन्सी के लिए उत्प्रवाह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था करनी चाहिए।
18. शुद्धिकृत घरेलू व प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह का नमूना किसी भी सामान्य उत्पादन कार्य किये जाने वाले दिन, तीन महीने में एक बार लिया जाये और उन्हें शर्त संख्या 3 व 4 में दी हुई सीमा के अनुसार सभी प्रचालकों के लिए विश्लेषित किया जाये। संलग्न प्रपत्र के अनुसार पूर्ण विश्लेषण करवाने के बाद तुरन्त/समय-समय पर विश्लेषण आख्या बोर्ड में जमा की जाए।
19. प्रार्थी/कम्पनी बिना लापरवाही किये इस सहमति आदेश में दिय गये निर्देशों तथा बाद में समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन करें। प्रार्थी/कम्पनी अगर किसी समय निर्गत किसी आदेश/निर्देश का पालन न करें और/या इस सहमति आदेश की शर्तों का उल्लंघन करें तो वह कानून/अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगी।
20. प्रार्थी बोर्ड की पूर्व लिखित सहमति के बिना अन्तिम निस्तारण बिन्दु और उत्प्रवाह की गुणता व मात्रा, उत्प्रवाह निस्तारण की दर, उत्प्रवाह का तापमान न बदले या परिवर्तन करे।

- मै0 धामपुर शुगर मिल्स लि0, (आसवनी इकाई), धामपुर, जनपद-बिजनौर
21. उपरोक्त शर्तें जब तक अधिनियम/संशोधित अधिनियम की धारा 27(2) के अन्तर्गत समाप्त नहीं कर दी जाती हैं, तब तक लागू रहेगी।
 22. प्रार्थी की सहमति की अवधि समाप्त होने के कम से कम 30 दिन पहले या प्रस्तावित नये या परिवर्तित निस्तारण बिन्दु के चालू होने और/या निस्तारण किये जाने के 30 दिन पूर्व, जो भी पहले हो, तक सहमति के नवीनीकरण हेतु आवेदन करना चाहिए।
 23. एक निरीक्षण पुस्तिका खोली जानी चाहिए और बोर्ड के अधिकारियों को फैक्ट्री भ्रमण के समय उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
 24. प्रार्थी उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र संस्थान के निर्माण, स्थापना या प्रयोग में लाने संबंधी कोई भी सूचना और जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण से संबंधित सूचना फैक्ट्री में बोर्ड से आये अधिकारी और/या बोर्ड को अवश्य उपलब्ध कराये।
 25. फैक्ट्री परिसर से अन्तिम निस्तारण बिन्दु जैसे साल भर बहने वाली नदी या सिंचाई योग्य फार्म, तक उत्प्रवाह ले जाने वाली चैनल, सीवर, ड्रेन या नाले में पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित किया जाए। जल के भराव जिससे एनारोबिक स्थितियाँ या मच्छरों की पैदावार हों, को नहीं होने दिया जाए।
 26. निदेशक (निदेशकों), साझेदार (साझेदारों), प्रोपराइटर(प्रोपराइटरों) के नाम, पदों व टेलीफोन की सूचना दी जाये।
 27. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधान तथा दिये गये सहमति शर्तों के होते हुए भी उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा 27(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए, अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, या अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।



(अमित चन्द्रा)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी0सी0-12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

संदर्भ संख्या 17/14189 /सी-7/1016/वायु प्रदूषण/बिजनौर/2017

दिनांक: 27/2/17

सेवा में,

मै0 धामपुर शुगर मिल्स लि0,
(आसवनी इकाई), धामपुर, जनपद-बिजनौर।

क्रमांक 1900

दिनांक 19/01/18

पत्रावली सं० D-5/बिजनौर-10

विषय: वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 के अन्तर्गत सहमति के संबंध में।

महोदय,

कृपया अपने सहमति आवेदन पत्र सं० GM(C)/1024 दिनांक 27.09.2017 का संदर्भ लें जोकि बोर्ड में दिनांक 09.10.2017 को प्राप्त हुआ है। आपके सहमति आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया। सशर्त सहमति आदेश पत्रांक-187/46X/2017 दिनांक: 27.12.17 संलग्न है। आपका ध्यान निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दिलाया जा रहा है।

- 1 सहमति शर्तों तथा निम्न बिन्दुओं का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।
 - 2 यह सहमति मात्र 200 कि०ली० प्रतिदिन रेक्टिफाइड स्प्रिट/एक्सट्रा न्यूट्रल एल्कोहल/एब्साल्यूट एलकोहल/इथाइल एसीटेट के उत्पादन एवं स्थापित ब्यालर 40 एवं 75 टीपीएच के मानकों के अनुरूप उत्सर्जन निस्तारित किये जाने की दशा में संचालन हेतु विधि मान्य है।
 - 3 उद्योग द्वारा आसवनी इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित चार्टर/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
 - 4 40 टीपीएच० एवं 75 टीपीएच० क्षमता के 02 स्लोप ब्यालर स्थापित है। वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में 40 टीपीएच ब्यालर पर मल्टी साइकलोन डस्ट कल्क्टर एवं वेट स्कबर तथा भूतल से 60 मी० ऊँची चिमनी तथा 75 टीपीएच के ब्यालर पर बैग फिल्टर एवं भूतल से 84 मी० चिमनी स्थापित है।
 - 5 750 के०वी०ए० का 01 डी०जी० सेट जिनमें सम्बद्ध चिमनी की ऊँचाई निकटतम भवन की छत से 5.4 मी० ऊँची सुनिश्चित की जाए।
- वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का रख-रखाव एवं संचालन इस प्रकार किया जाए जिससे निस्तारित उत्सर्जन में प्रचालकों की मात्रा बोर्ड मानकों के अनुरूप रहे तथा परिवेशीय वायु गुणता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

- 7 40 टीपीएच ब्यालर में वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था हेतु बैग फिल्टर /ईएसपी की व्यवस्था 06 मा. के अन्दर सुनिश्चित की जाए।
- 8 ब्यालर की चिमनी पर स्थापित ऑनलाइन मानिटरिंग सिस्टम का सुचारु रूप से रख-रखाव एवं संचालन सुनिश्चित किया जाए तथा निर्धारित समयावधि में कैलिब्रेशन कराते हुए रिपोर्ट बोर्ड को प्रेषित की जाए।
- 9 प्लू गैस उत्सर्जन तथा वायु गुणता संबंधी अनुश्रवण आख्या इस पत्र प्राप्ति के तीन माह के अंदर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- 10 यह सहमति केवल वर्तमान उत्पादन क्षमता एवं वर्तमान उत्सर्जन की मात्रा के लिए ही मान्य है।
- 11 उद्योग को पर्यावरणीय व्यक्तव्य निर्धारित समय अवधि प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक बोर्ड में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।-
- 12 वायु प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।
- 13 यह सहमति केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा बन्दी आदेश जारी किये जाने पर बन्दी आदेश की समयावधि में मान्य नहीं होगी।
- 14 उद्योग के विरुद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बन्दी आदेश निर्गत किये जाने की स्थिति में उद्योग के संचालन हेतु निर्गत सहमति बन्दी की अवधि में स्वतः निलम्बित रहेगी तथा उद्योग द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किये जाने पर उद्योग के बन्दी निक्षेपण किये जाने के साथ ही बन्दी निक्षेपण की अतिरिक्त शर्तों के साथ उद्योग की संचालन सहमति स्वमेव प्रभावी हो जाएगी।

इस सहमति आदेश के अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।
सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

संलग्नक : उपरोक्तानुसार ।

(अमित चन्द्रा)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-7)

संदर्भ संख्या-

प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

/वायु प्रदूषण/

तद दिनांक-

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी0सी0-12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

सहमति आदेश पत्र

संदर्भ संख्या 107/सहमति (वायु) आदेश/2017 लखनऊ, दिनांक- 27.12.17

विषय: मैसर्स धामपुर शुगर मिल्स लि0, (आसवनी इकाई), धामपुर, जनपद-बिजनौर को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-21/22 के अन्तर्गत।

संदर्भ : आवेदन संख्या- GM(C)/1024

प्राप्ति दिनांक 09.10.2017

1. वायु अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत वायु प्रदूषणकारी अवयवों के उत्सर्जन हेतु उपरोक्त संदर्भित सहमति आवेदन प्रपत्र मैसर्स धामपुर शुगर मिल्स लि0, (आसवनी इकाई), धामपुर, जनपद-बिजनौर को अपने संयंत्रों से संलग्नक में वर्णित शर्तों के अनुरूप वायुमण्डल में उत्सर्जन हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाता है।
2. यह सहमति दिनांक 31.12.2019 की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।
3. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

(अमित चन्द्रा)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-7)

अनुलग्नक : संलग्नक ।


उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ

संलग्नक आदेश संख्या-...../सहमति(वायु)/आदेश/.....दिनांक.....

सहमति शर्तें

- 1- प्लू गैस की प्रतिघण्टा अधिकतम उत्सर्जन मात्रा बोर्ड मानकों से अधिक नहीं होना चाहिए।
 - (i) 40 टीपीएच0 एवं 75 टीपीएच0 क्षमता के 02 स्लोप ब्यालर स्थापित है। वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में 40 टीपीएच ब्यालर पर मल्टी साइकलोन डस्ट कल्क्टर एवं वेट स्कबर तथा भूतल से 60 मी० ऊँची चिमनी।
 - (ii) 75 टीपीएच के ब्यालर पर बैग फिल्टर एवं भूतल से 84 मी० चिमनी।
 - (iii) 750 के०वी०ए० का 01 डी०जी० सेट जिनमें सम्बद्ध चिमनी की ऊँचाई निकटतम भवन की छत से 5.4 मी० ऊँची सुनिश्चित की जाए।
 - (iv) समस्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का रख-रखाव एवं संचालन इस प्रकार किया जाए जिससे निस्तारित उत्सर्जन में प्रचालकों की मात्रा बोर्ड मानकों के अनुरूप रहे तथा परिवेशीय वायु गुणता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
 - (v) उक्त 40 टीपीएच ब्यालर पर ईएसपी/बैग फिल्टर की व्यवस्था 06 माह के अन्दर सुनिश्चित की जाए।
 - (vi) समस्त वायु प्रदूषणकारी स्रोतों का वायु अनुश्रवण कराकर अनुश्रवण आख्या 03 माह में बोर्ड को प्रेषित करें।
- 2- वायु मण्डल में विभिन्न चिमनियों द्वारा उत्सर्जित मात्रा बोर्ड मानकों के अनुरूप हो।
सस्पेन्डेड पार्टिकुलेट मैटर पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूच-1 के नियम-59 के अनुसार।
- 3- समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य परिचालकों की मात्रा भी मानकों के अनुरूप हो।
- 4- बोर्ड द्वारा अनुमोदित वायु प्रदूषण नियंत्रण एवम् अनुश्रवण हेतु संयंत्रों का अधिस्थापन उद्योग के प्रस्तावित अथवा कार्यरत परिसर में ही हो।
- 5- बोर्ड के अनुरूप ही उद्योगों द्वारा कार्यरत प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों में संशोधन अथवा प्रतिस्थापन (यदि संक्षम एवम् अनुरूप न पाये गये हो) किया जा सकता है।
- 6- बिन्दु-4ए 5 एवम् 7 में इंगित नियंत्रण तथा अनुश्रवण संयंत्रों को कार्यरत स्थिति में, इकाई में रखा जाये।
- 7- इकाई परिक्षेत्र में प्रत्येक आवश्यक स्थान पर चिमनी/स्टैक का प्राविधान बोर्ड मानकों के अनुसार किया जाये।
- 8- सहमति आदेश निर्गत किये जाने की दिनांक के एक माह के भीतर इकाई के समस्तस्टैक से हो रह उत्सर्जन के अनुश्रवण किये जाने की सम्पूर्ण व्यवस्था की जाये। उत्सर्जन का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जाय एवम् इसकी मासिक आख्या बोर्ड में जमा की जाए।
- 9- (अ) उपरोक्त संदर्भित सहमति शर्तों का सम्पूर्ण अनुपालन कार्यरत इकाई द्वारा सुनिश्चित किया जाये एवं इस संबंध में आवश्यक अनुपालन आख्या सहमति आदेश प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाये।
(ब) नवीन इकाई में उत्पादन तब तक न आरम्भ किया जाए जब तक सहमति आदेश की शर्तों का अनुपालन बोर्ड की संस्तुति के अनुसार न कर लिया जाए।
- 10- इकाई में कार्यरत किसी भी प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र अथवा स्टैक में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन बिना बोर्ड की पूर्व अनुमति के न किया जाए।
- 11- इकाई का रख-रखाव इस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए कि वायु प्रदूषणकारी तत्वों का उत्सर्जन, स्टैक के अतिरिक्त अन्य किसी बिन्दु से नहीं होना चाहिए।

- 12- इकाई द्वारा बोर्ड के कर्मचारियों, मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा, चिमनी अथवा उक्त किसी अन्य "आउट लेट" से वायु उत्सर्जन का नमूना एकत्रित किये जाने से संबंध में समस्त आवश्यक सुविधाओं का प्राविधान किया जाए।
- 13- इकाई से आबादी, कृषिक उपज इत्यादि को कोई भी नुकसान होने की स्थिति में यह आवश्यक होगा कि इकाई में उत्पादन तुरन्त बन्द किया जाए तथा हटाने की सूचना तत्काल बोर्ड को दी जाए।
- 14- आवेदन कर्ता/इकाई द्वारा इस सहमति आदेश में तथा भविष्य में दिये जाने वाले समस्त निर्देशों/आदेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाए। किसी भी समय पर दिये गये आदेश/निर्देश अथवा इस सहमति आदेश की शर्तों का अनुपालन संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में आवेदनकर्ता /इकाई पर विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
- 15- उपरोक्त इंगित समस्त शर्तें अधिनियम की धारा-21 (6) के अन्तर्गत निरस्त न किये जाने तक वैद्य रहेगी।
- 16- आवेदन कर्ता द्वारा सहमति नवीनीकरण हेतु सहमति आवेदन पत्र तीन प्रतियों में जमा किया जाए। यह आवेदन पत्र पूर्व सहमति आदेश की वैधता समाप्त होने से 03 माह अथवा नवीन या प्रतिस्थापित चिमनी की कार्यान्वयन तिथि हो एवम् प्रस्तावित नवीन उत्सर्जन की तिथि से 03 माह पूर्व (जो भी पहले हो) जमा किया जाए।
- 17- बोर्ड के अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान उद्योग द्वारा एक निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध करायी जाए।
- 18- आवेदक को निरीक्षणकर्ता/बोर्ड को अनुश्रवण एवम् प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों के निर्माण, अधिस्थापन अथवा संचालन तथा अन्य सूचनायें जो वायु प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित हो, उपलब्ध करानी होगी।
- 19- इस सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर अपने उद्योग के डाइरेक्टर्स, पार्टनर्स, प्रोपराइटर्स का पता, दूरभाष संख्या की एक लिस्ट उपलब्ध करानी होगी।
- 20- इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।
सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।


(अमित चन्द्रा)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-7)



U.P. Pollution Control Board

CONSENT ORDER

Ref No. - 16136/UPPCB/Bijnore(UPPCBRO)/CTO/air/BIJNOR/2018

Dated : 15/03/2018

To ,

M/S SANDEEP SHARMA
DHAMPUR SUGAR MILLS
DHAMPUR SUGAR MILLS DHAMPUR BIJNOR
BIJNOR

Sub : Consent under section 21/22 of the Air (Prevention and control of Pollution) Act, 1981 (as amended) to M/s. DHAMPUR SUGAR MILLS

Reference Application No. 734891

Dated : 15/03/2018

1. With reference to the application for consent for emission of air pollutants from the plant of M/s DHAMPUR SUGAR MILLS. under Air Act 1981. It is being authorised for said emissions, as per the standards, in environment, by the Board as per enclosed conditions .
2. This consent is valid for the period from 01/01/2018 to 31/12/2019 .
3. In spite of the conditions and provisions mentioned in this consent order UP Pollution Control Board reserves its right and powers to reconsider/amend any or all conditions under section 21 (6) of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 as amended.

This consent is being issued with the permission of competent authority .

AMIT
CHANDRA

Digitally signed by
AMIT CHANDRA
Date: 2018.03.15
16:47:12 +05'30'

For and on behalf of U.P. Pollution Control Board

Enclosed : As above
(condition of consent):

Copy to: Regional Officer UPPCB Bijnour for information and to ensure the compliance of the conditions imposed in the consent order.

AMIT
CHANDRA

Digitally signed by
AMIT CHANDRA
Date: 2018.03.15
16:47:30 +05'30'

U.P. Pollution Control Board

Dated : 15/03/2018

CONDITIONS OF CONSENT

1. This consent is valid only for the approved production capacity of Sugar cane crushing 14000 TCD.
- 2(a). The maximum rate of emission of flue gas should not be more than the emission norms for the stacks.

Air Pollution Source Details					
S.No	Air Pollution Source	Type of Fuel	Stack No.	Parameters	Height
1	Boiler 170 TPH and 170 TPH	Bagasse-100 TPH	01	Particulate Matter	ESP as APCS and stack height 90 meter common stack from ground level

- 2(b). The emissions by various stacks into the environment should be as per the norms of the Board .

Emission Quality Details Detail			
S.No	Stack No	Parameter	Standard
1	01	Particulate Matter	150 mg/nm3/ m3

3. Quantity of other pollutants should also be as per the norms prescribed by the Board/MOEF & CC/or otherwise mandatory .
4. The equipment for air pollution control system and monitoring ,as proposed by the industry and approved by the Board should be installed in their premises itself .
5. The modification or installation in the existing pollution control equipments should be done only by prior approval of Board .
6. The operation of air pollution control system and maintenance be done in such a way that the quantity of pollutants should be in accordance with the standards prescribed by the Board/MoEF & CC/or otherwise mandatory .
7. Unit should do provisions for fugitive emissions chimney/stack as per the norms of the Board/MOEF & CC/or otherwise mandatory .
8. The unit should submit the stack emissions monitoring report within one month from issuance of consent order along with the point wise compliance report of the consent order . Further quarterly monitoring report should be submitted .

Specific Conditions:

1. This consent is valid for production of sugar from cane crushing capacity 14000 TCD and 60 Megawatt Co generation.
2. Quality of the Emission should always meet the Emission norms for Sugar units as prescribed in the Environment (Protection) Rules 1986.
3. Emission from the boiler w.r.t. Particulate Matter must meet the stipulated norms specified By Ministry of Environment , forest and climate change , Govt. of India vide notification no. GSR 35 (E) dated 14.01.2016.
4. Unit shall install Online Emission Monitoring System at the stack of air polluting sources and ensure the connectivity to the servers of CPCB and UPPCB with 6 months.
5. Unit shall comply the provisions of Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981 as amended and Environment (Protection) Act 1986, and direction issued by Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi.
6. Unit shall submit the ambient air quality report and stack report of the air pollution sources from laboratory authorized from MOEF & CC.
7. Unit shall develop Green Belt in minimum 33 percent area of Industrial Premises as per the provisions laid down in office order no. H16405/220/2018/02 dated 16-02-2018 of U.P. Pollution Control Board. The copy of said office order is available on the website of U.P. Pollution Control Board www.uppcb.com.
8. Unit shall use Bio-briquette as co-fuel with main fuel in the ratio of minimum 20 percent in boiler subject to its availability.
9. Ash disposal must be in an environmentally safe manner and Fly Ash Rules must be complied.
10. This Consent order shall automatically become invalid on issuance of Closure Order by C.P.C.B / UPPCB and further on Revoking of Closure order, the Consent order shall become valid.

Issued with the permission of competent authority .

AMIT
CHANDRA

Digitally signed by
AMIT CHANDRA
Date: 2018.03.15
16:47:44 +05'30'

For and on behalf of U.P. Pollution Control Board .



U.P. Pollution Control Board

CONSENT ORDER

Ref No. -
16137/UPPCB/Bijnore(UPPCBRO)/CTO/water/B
IJNOR/2018

Dated : 15/03/2018

To ,

M/S SANDEEP SHARMA
DHAMPUR SUGAR MILLS
DHAMPUR SUGAR MILLS DHAMPUR BIJNOR
BIJNOR

Sub : Consent under Section 25/26 of The Water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974
(as amended) for discharge of effluent to M/s. DHAMPUR SUGAR MILLS

Reference Application No :734912

Dated :15/03/2018

1. For disposal of effluent into water body or drain or land under The Water (Prevention and control of Pollution) Act,1974 as amended (here in after referred as the act) M/s. DHAMPUR SUGAR MILLS is hereby authorized by the board for discharge of their industrial effluent generated through ETP for irrigation/river through drain and disposal of domestic effluent through septic tant/soak pit subject to general and special conditions mentioned in the annexure ,in refrence to their foresaid application .
2. This consent is valid for the period from 01/01/2018 to 31/12/2019 .
3. In spite of the conditions and provisions mentioned in this consent order UP Pollution Control Board reserves its right and powers to reconsider/amend any or all conditions under section 27(2) of the Water (Previntion and Controt of Pollution) Act, 1974 as amended .

This consent is being issued with the permission of competent authority .

AMIT
CHANDRA Digitally signed by
AMIT CHANDRA
Date: 2018.03.15
16:50:56 +05'30'

For and on behalf of U.P. Pollution Control Board

Enclosed : As above
(condition of consent):

Copy to: Regional Officer UPPCB Bijnaur for information and to ensure the compliance of the
conditions imposed in the consent order.

AMIT
CHANDRA Digitally signed by
AMIT CHANDRA
Date: 2018.03.15
16:51:13 +05'30'

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, LUCKNOW

Annexure to Consent issued to M/s.DHAMPUR SUGAR MILLS vide

Consent Order No. 734912/ Water

Dated : 15/03/2018

CONDITIONS OF CONSENT

1. This consent is valid only for the approved production capacity of Sugar cane crushing 14000TCD.
2. The quantity of maximum daily effluent discharge should not be more than the following :

Effluent Discharge Details			
S.No	Kind of Effluent	Maximum daily discharge,KL/day	Treatment facility and discharge point
1	Domestic	50 KLD	Septic Tank
2	Industrial	2800 KLD(1400 KLD effluent discharge from cane crushed and 1400 KLD Spray pond overflow or cooling tower blowdown) only one outlet is allowed	ETP

3. Arrangement should be made for collection of water used in process and domestic effluent separately in closed water supply system. The treated domestic and industrial effluent if discharged outside the premises, if meets at the end of final discharge point, arrangement should be made for measurement of effluent and for collecting its sample. Except the effluent informed in the application for consent no other effluent should enter in the said arrangements for collection of effluent. It should also be ensured that domestic effluent should not be discharged in storm water drain .
- 4 a. The domestic effluent should be treated in treatment plant so that the should be in conformity with the following norms dated treated effluent .

Domestic Effluent		
S.No	Parameter	Standard
1	Quantity of Discharge	50KLD
2	Total Suspended Solids	100mg/l
3	BOD	30mg/l
4	COD	250mg/l
5	Oil & Grease	10mg/l

- 4 b. The industrial effluent should be treated in treatment plant so that the treated effluent should be in conformity with the following norms. .

Industrial Effluent		
S.No	Parameter	Standard
1	Total Suspended Solids	100mg/l(For disposal on land) or 30 (For disposal in surface water)
2	BOD	100mg/l(For disposal on land) or 30 (For disposal in surface water)
3	COD	250mg/l
4	Oil & Grease	10mg/l
5	Quantity of Discharge	2800 KLD(1400 KLD cane crushed discharge and 1400 KLD waste water from spray pond overflow or cooling tower blowdown) only one outlet is allowed.

5. Effluent generated in all the processes, bleed water, cooling effluent and the effluent generated from washing of floor and equipments etc should be treated before its disposal with treated industrial effluent so that it should be according to the norms prescribed under The Environment (Protection) Act,1986 or otherwise mandatory .
6. The other pollutant for which norms have not been prescribed, the same should not be more than the norms prescribed for the water used in manufacturing process of the industry .
7. The method for collecting industrial and domestic effluent and its analysis should be as per legal Indian standards and its subsequent amendments/standards prescribed under The Environment (Protection) Act, 1986.
8. The treated domestic and industrial effluent be mixed (as per the provisions of Condition No. 2) and disposed of on one disposal point. This common effluent disposal point should have arrangement for flow meter/V Notch for measuring effluent and its log book be maintained .

Specific Conditions:

1. This consent is valid for production of sugar from Sugar cane crushing capacity 14000 TCD .
2. The Final treated effluent quantity shall be restricted to 1400KLD and Cooling Tower blow down shall be restricted to 1400 KLD in compliance of notification no G.S.R.35(E) dated 14.01.2016 of MoEF&CC. Only one outlet is allowed from the unit.
3. The final treated Effluent quality should conform to standards as prescribed in notification no G.S.R.35(E) dated 14.01.2016 of MoEF&CC.
4. Unit shall make proposals for treatment of domestic water through STP and re used the treated water to the maximum extent within 06 month.
5. Unit must comply the conditions of NOC from CGWA for extraction of Ground water.
6. Unit must comply the direction issued to the unit by CPCB letter no.B190197/NGRBA(RG)/CPCB/Sugar/15/2016-17/13194 dated 30.10.2017/02.11.2017
7. The unit must restrict its lagoon storage capacity to 15 days.
8. The unit must utilize treated effluent meeting the prescribed norms for irrigation as per irrigation management plan validated by expert institution.
9. Unit shall implement the recommendation of the adequacy report of NSI Kanpur.
10. Unit must maintain and operate the installed Electromagnetic flow meter at water source (Tube well) and outlet of ETP, proper records should be maintained of the water abstracted from ground water/Effluent discharged and effluent used for irrigation.
11. Unit shall ensure the proper operation and maintenance of online monitoring system and maintain the records, and ensure the connectivity to the servers of CPCB and UPPCB
12. Unit shall comply the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 as amended and Environment (Protection) Act 1986, and direction issued by Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi.
13. Unit shall submit treated effluent monitoring report and ground water quality monitoring report done by MoEF & CC approved laboratory within 3 months.
14. Unit shall develop green belt in and also provide arrangements for odor control and to control the mosquitoes in the bio compost yard. The Green Belt shall be develop as per office order dated 16-02-2018 of UPPCB. A copy of the office order is available on www.uppcb.com.
- 15- This Consent order shall automatically become invalid on issuance of Closure Order by C.P.C.B / UPPCB and further on Revoking of Closure order, the Consent order shall become valid.

Issued with the permission of competent authority .

AMIT
CHANDRA

Digitally signed by
AMIT CHANDRA
Date: 2018.03.15
16:51:28 +05'30'

For and on behalf of U.P. Pollution Control Board .

प्रेषक,

July 07/14-1-2020

9

मुख्य चिकित्साधिकारी,
बिजनौर।

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
बिजनौर।

पत्रांक- मु०चि०अ०/स्वा० परीक्षण/2019-20/

दिनांक 14.01.2020

विषय-धामपुर की शिक्षण संस्थाओं में छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य का परीक्षण करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्र संख्या मु०चि०अ०/स्वा०परीक्षण/2019-20/3702 दिनांक 23.12.2019 के द्वारा प्रभारी चिकित्साधिकारी प्रा०स्वा०केन्द्र धामपुर को शिक्षण संस्थाओं (The Priyanka Modern Sr. Sec. School Dhampur, The Priyanka College of Medical Science and Research Center Dhampur, The Priyanka College of Professional Education Dhampur) में अध्ययनरत समस्त छात्र-छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय में प्राप्त कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में प्रभारी चिकित्साधिकारी प्रा०स्वा०केन्द्र धामपुर ने अपने पत्र संख्या पी०एच०सी०/स्वा०परी०/2019-20 दिनांक 14.01.2020 (छाया प्रति संलग्न) के द्वारा अवगत कराया गया है कि The Priyanka College of Professional Education Dhampur के कुछ छात्र-छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया है तथा शूगर मील के समीप वाले गांव (शूगर मील कालोनी, रानी बाग कालोनी, ग्राम मोहड़ा) के घर-घर भ्रमण कर स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। तीनों शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्य द्वारा अवगत कराया गया है शीतकालीन अवकाश दिनांक 12.01.2020 तक रहेगा। दिनांक 13.01.2020 को तीनों शिक्षण संस्थान खुलेंगे। दिनांक 06.01.2020 व 07.01.2020 को शूगर मिल के समीप वाले गांव (शूगर मिल कालोनी, फूल बाग कालोनी, व ग्राम मोहड़ा) के घर-घर भ्रमण करके स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, दिनांक 13.01.2020 को प्रियंका सिनियर सैकेण्डरी स्कूल धामपुर व प्रियंका मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर धामपुर के छात्र-छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण स्वास्थ्य परीक्षण किया गया जिसकी रिपोर्ट निम्न प्रकार है:-

1- समीप वर्ती गांव के कुल देखे गये जनमानस की संख्या - 155
(क)- आँख में जलन वाले रोगियों की संख्या - 06

2- प्रियंका कालेज ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन धामपुर में स्वास्थ्य परीक्षण किये गये छात्र-छात्राओं की कुल संख्या- 75

(क)- आँख में जलन वाले रोगियों की संख्या - 18
(ख)- सांस की बीमारी ग्रसित बच्चों की संख्या - 01
(ग)- सिर दर्द वाले छात्र-छात्राओं की संख्या - 03
(घ)- खांसी से पीडित छात्र-छात्राओं की संख्या - 04
(ङ)- पेट दर्द से पीडित छात्र-छात्राओं की संख्या - 01
(च)- शरीर के दर्द से पीडित छात्र-छात्राओं की संख्या - 01

3- प्रियंका सिनियर सैकेण्डरी स्कूल धामपुर व प्रियंका मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर धामपुर में उपस्थित 3010 कुल छात्र-छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया जिन में निम्नलिखित को यह दिक्कत पाई गई।

(क)- आँखों में जलन - 12
(ख)- सांस फूलना - 03
(ग)- सर दर्द - 01
(घ)- एलर्जी - 01

संलग्न- स्वास्थ्य परीक्षण किये गये छात्र-छात्राओं एवं समीप वर्ती गांव के रोग ग्रसित व्यक्तियों की सूची सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य चिकित्साधिकारी,
बिजनौर।

प्रेषक:—प्रभारी चिकित्साधिकारी प्रा०स्वा०के०धामपुर

पत्रांक—पी०एच०सी० / स्वा०परी० / 2019—20

दिनांक—14.01.2020

सेवा में,

श्रीमान मुख्य चिकित्साधिकारी,

जनपद बिजनौर।

विषय—शिक्षण संस्थान में छात्र—छात्राओं के स्वास्थ्य परीक्षण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक: आपके कार्यालय के पत्रांक—संख्या—गु०चि०अ० / स्वा०परीक्षण / 2019—20 / 3702 दिनांक—23.12.2019 के क्रम में (The Priynaka Modem Sr.Sec.Schol Dhampur ,The Priynaka College of Medical Science and Research Center Dhampur,The Priynaka College of Professional Education Dhampur) में अध्ययनरत छात्र—छात्राओं का व समीप रहने वाले जन—मानस का स्वास्थ्य परीक्षण कराना था। उक्त तीनों शिक्षण—संस्थानों में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए टीमों को भेजा गया था जिसमें The Priynaka College of Professional Education Dhampur) का स्वास्थ्य परीक्षण प्रा०स्वा०के० धामपुर की टीमों द्वारा कुछ छात्र—छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और दिनांक—06.01.2020 व 07.01.2020 को शूगर मिल के समीप वाले गांव (शूगर मिल कालोनी,फूल बाग कालोनी,व ग्राम मोहडा) के घर—घर भ्रमण कर स्वास्थ्य परीक्षण किया गया।

1—समीप बर्ती गांव के कुल देखे गये जनमानस की संख्या—155

क—आँख में जलन वाले रोगियों की संख्या—06

2—प्रियका कॉलेज आफ प्रोफेशनल एजुकेशन धामपुर में स्वास्थ्य परीक्षण किये गये छात्र—छात्राओं की कुल संख्या—75

क— आँख में जलन वाले—18

ख—सास की बीमारी ग्रसित बच्चों की संख्या—01

ग—सिर दर्द वाले छात्र—छात्राओं की संख्या—03

घ—खांसी से पीडित छात्र—छात्राओं की संख्या—04

ड—पेट दर्द से पीडित छात्र—छात्राओं की संख्या—01


च—शरीर के दर्द से पीडित छात्र—छात्राओं की संख्या—01

3-प्रियंका सीनियर सैकंडर स्कूल धामपुर व प्रियंका मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर धामपुर

में उपरिथति 3010 कुल छात्र-छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया जिन में निम्नलिखित को यह दिवकत पाई गयी।

क-ओंखों में जलन -12 ख-सांस फूलना-03 ग-सरर दर्द-01 घ-एलर्जी -01

संलग्न-स्वास्थ्य परीक्षण किये गये छात्र-छात्राओं एवं समीप वर्ती गांव के रोग ग्रसित व्यक्तियों की सूची सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


प्रभारी चिकित्साधिकारी
प्रा० स्वा० केन्द्र धामपुर
(बिजनौर)

प्रतिलिपि-1-डा०एस०के० निगम अपर मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद बिजनौर को सूचनार्थ प्रेषित।

2-अपर मुख्य चिकित्साधिकारी (आर०सी०एच०) जनपद बिजनौर को उनके द्वारा दिये गये मौखिक निर्देशों के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।


प्रभारी चिकित्साधिकारी
प्रा० स्वा० केन्द्र धामपुर
(बिजनौर)


पर्वी गांव में देखे गये कुल जनमानस 155 व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया जिसमें 06 रोगी आंख में जलन वाले पाये गये।

क्र०सं०	व्यक्ति का नाम	आयु	बीमारी का नाम	गांव का नाम
1	राजो देवी	60	आँखों जलन	फूलबाग कालोनी (शूगर मिल)धामपुर
2	मुन्नी देवी	56	आँखों जलन व सांस में दिक्कत	फूलबाग कालोनी (शूगर मिल)धामपुर
3	रामेश चन्द्र	40	आँख की जलन	फूलबाग कालोनी (शूगर मिल)धामपुर
4	रोहित चौहान	25	आख में जलन	ग्राम मोहडा
5	सीमा चौहान	35	आँख में जलन	ग्राम मोहडा
6	अजय वीर	56	आँख में जलन	ग्राम मोहडा

स्वास्थ्य शिविर-प्रियका कालेज आफ प्रोफेशनल एजुकेशन धामपुर दिनांक-27.12.2019

1	दीपा रानी	23	आँख में जलन	प्रियका कालेज आफ प्रोफेशनल एजुकेशन धामपुर
2	आरती सिंह	22	आँख में जलन	प्रियका कालेज आफ प्रोफेशनल एजुकेशन धामपुर
3	कल्पना	22	आँख में जलन	प्रियका कालेज आफ प्रोफेशनल एजुकेशन धामपुर
4	शिवानी	23	आँख में जलन	प्रियका कालेज आफ प्रोफेशनल एजुकेशन धामपुर
5	शहर अंसारी	22	आँख में जलन	प्रियका कालेज आफ प्रोफेशनल एजुकेशन धामपुर
6	पल्लवी चौहान	20	आँख में जलन	प्रियका कालेज आफ प्रोफेशनल एजुकेशन धामपुर
7	शदफ	21	आँख में जलन	प्रियका कालेज आफ प्रोफेशनल एजुकेशन धामपुर
8	तररुनू	22	सांस फेलना खासी	प्रियका कालेज आफ प्रोफेशनल एजुकेशन धामपुर
9	आयुष शर्मा	23	सिर दर्द	प्रियका कालेज आफ प्रोफेशनल एजुकेशन धामपुर
10	निधि	20	आँख में जलन	प्रियका कालेज आफ प्रोफेशनल एजुकेशन धामपुर
11	इच्छा	23	आँख में जलन	प्रियका कालेज आफ प्रोफेशनल एजुकेशन धामपुर
12	शिवानी	21	आँख में जलन	प्रियका कालेज आफ प्रोफेशनल एजुकेशन धामपुर
13	अरिबा	20	सर दर्द	प्रियका कालेज आफ प्रोफेशनल एजुकेशन धामपुर
14	सोनाली	20	पेट में दर्द	प्रियका कालेज आफ प्रोफेशनल एजुकेशन धामपुर
15	रुचि	21	आँख में जलन	प्रियका कालेज आफ प्रोफेशनल एजुकेशन धामपुर
16	नितिन	22	आँख में जलन/पानी आना	प्रियका कालेज आफ प्रोफेशनल एजुकेशन धामपुर
17	रेशू	23	खासी	प्रियका कालेज आफ प्रोफेशनल एजुकेशन धामपुर
18	चौदनी	21	आँख में जलन	प्रियका कालेज आफ प्रोफेशनल एजुकेशन धामपुर
19	कल्पना	21	सर दर्द	प्रियका कालेज आफ प्रोफेशनल एजुकेशन धामपुर
20	कचन	22	शरीर में दर्द	प्रियका कालेज आफ प्रोफेशनल एजुकेशन धामपुर
21	नवीला	21	खासी	प्रियका कालेज आफ प्रोफेशनल एजुकेशन धामपुर
22	आंकाक्षा	24	खासी	प्रियका कालेज आफ प्रोफेशनल एजुकेशन धामपुर
23	अंजलि	21	खासी	प्रियका कालेज आफ प्रोफेशनल एजुकेशन धामपुर
24	जानवी	20	आँख में जलन	प्रियका कालेज आफ प्रोफेशनल एजुकेशन धामपुर
25	मीनाक्षी	20	आँख में जलन	प्रियका कालेज आफ प्रोफेशनल एजुकेशन धामपुर
26	शीहरा	22	आँख में जलन	प्रियका कालेज आफ प्रोफेशनल एजुकेशन धामपुर
27	विद्या	28	आँख में जलन	प्रियका कालेज आफ प्रोफेशनल एजुकेशन धामपुर
28	फिरोजा	22	आँख में जलन	प्रियका कालेज आफ प्रोफेशनल एजुकेशन धामपुर
29	दीप	9	आँख में जलन	प्रियका स्कूल धामपुर
30	आकाक्ष राजपूत	15	आँख में जलन	प्रियका स्कूल धामपुर
31	रिधि	16	सांस में दिक्कत	प्रियका स्कूल धामपुर

32	पिरन्की	6	ऑख में जलन	प्रियका स्कूल धामपुर
33	आदिती	15	ऑख में जलन	प्रियका स्कूल धामपुर
34	मानसी	15	सर्र दर्द	प्रियका स्कूल धामपुर
35	आधुषी	15	ऑख में जलन	प्रियका स्कूल धामपुर
36	सृषिट	15	ऑख में जलन	प्रियका स्कूल धामपुर
37	तनुसीका	15	शरीर में एलर्जी	प्रियका स्कूल धामपुर
38	अपूर्ण	18	ऑख मं जलन	प्रियका स्कूल धामपुर
39	सूर्यासा	14	ऑख में जलन	प्रियका स्कूल धामपुर
40	भव्या	15	ऑख में जलन	प्रियका स्कूल धामपुर
41	अभिजीत	14	स्टाई निकलना	प्रियका स्कूल धामपुर
42	स्वति	22	ऑखों में पानी आना	प्रियका मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर धामपुर
43	प्रियाशु	14	सांस में दिक्कत	प्रियका स्कूल धामपुर
44	हरशाण एजाज	15	ऑख में पानी आना	प्रियका स्कूल धामपुर
45	वगुरो	13	सांस में दिक्कत	प्रियका स्कूल धामपुर


 प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
 प्रा० स्था० केन्द्र धामपुर
 (विजयनगर) 14/11/2020



REGIONAL OFFICE
Uttar Pradesh Pollution Control Board
MORADABAD-244001

Source Emission Monitoring Results

- 1. Name & Address of Industry *M/s Dhampur Sugar Mills (Co)*
..... *(Sugar Unit), Dhampur*
..... *Bijnor*
- 2. Production Capacity *Sugar*
- 3. Sample collected by *Anil Kumar SA, Akash Tashri LA*
- 4. Source of Sampling *Stack*
- 5. Date of Sampling *11-12-19*
- 6. Stack Attached to *Boiler*
- 7. Capacity of Boiler / D. G./Furnace *2x170T/hr*
- 8. Type of Fuel uses *Bagasse*
- 9. Quantity of Fuel Consumption *90.0T/day*
- 10. A.P.C.S. (Air Pollution Control-System) *E.S.P*

S.No.	PARAMETERS	VALUE	STANDERD VALUES
1.	Stack height in Meters /Feets	<i>90.0 meter</i>	
2.	Ambient Temp. in °C	<i>20.0°C</i>	
3.	Stack gas Temp. in °C	<i>130.0°C</i>	
4.	Velocity in Meter /sec	<i>9.5 m/sec</i>	
5.	Concentration of SPM in mg /Nm ³	<i>86.42 mg/Nm³</i>	<i>150.0</i>
6.	Concentration Sulphur Dioxide in mg /Nm ³ or Kg /Ton		
7.	Concentration of Fluoride in mg /Nm ³		
8.	Concentration of NOx in mg/Nm ³ /ppm		
9.	Concentration of Acidmist in mg /Nm ³		
10.	Other		

Anil Kumar
16-12-19
Scientific Assistant

Asstt. Scientific Officer

[Signature]
16-12-19
Regional Officer



REGIONAL OFFICE
Uttar Pradesh Pollution Control Board
MORADABAD-244001

Source Emission Monitoring Results

- 1. Name & Address of Industry *M/S. Dhampur Sugars Mills Ltd
(Distillery Unit), Dhampur, Bijnor.*
- 2. Production Capacity *RS, ENA, Ethyle Acetate etc. 7.5 MW*
- 3. Sample collected by *Anil Kumar SA, Akash Jishi LA*
- 4. Source of Sampling *Stack*
- 5. Date of Sampling *18-12-19*
- 6. Stack Attached to *Boiler*
- 7. Capacity of Boiler / D. G./Furnace *75.0 T/hr*
- 8. Type of Fuel uses *Baggasse & Concentrate spent wash*
- 9. Quantity of Fuel Consumption *Baggasse 14.0 T/day & Concentrate spent wash 6.5 T/day*
- 10. A.P.C.S. (Air Pollution Control-System) *Ash handling system & Bag Filter*

S.No.	PARAMETERS	VALUE	STANDERD VALUES
1.	Stack height in Meters /Feets	<i>34.0 meter</i>	
2.	Ambient Temp. in °C	<i>13.0 °C</i>	
3.	Stack gas Temp. in °C	<i>215.0 °C</i>	
4.	Velocity in Meter /sec	<i>11.09 m/sec</i>	
5.	Concentration of SPM in mg /Nm ³	<i>48.07 mg/Nm³</i>	
6.	Concentration Sulphur Dioxide in mg /Nm ³ or Kg /Ton		
7.	Concentration of Fluoride in mg /Nm ³		
8.	Concentration of NOx in mg/Nm ³ /ppm		
9.	Concentration of Acidmist in mg /Nm ³		
10.	Other		

Anil Kumar
24-12-19
Scientific Assistant

Asstt. Scientific Officer

A
Regional Officer



12

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
1-ए/आई.एन.एस.-1, आवास विकास कालोनी,
बुद्ध विहार, दिल्ली रोड,
मुरादाबाद

परिवेशीय वायु अनुश्रवण डाटा एवं विश्लेषण आख्या

1.	उद्योग का नाम व पता	:	मैसर्स प्रियंका मार्टन सीनियर सेकेंड्री स्कूल), धामपुर, जिला-बिजनौर।	
2.	उद्योग प्रतिनिधि का नाम	:	श्री डी0एस0 नेगी, प्रधानाचार्य	
3.	उत्पादन क्षमता	:	---	
4.	नमूना एकत्रण तिथि	:	11.12.2019	
5.	नमूना स्थल	:	विद्यालय प्रांगण (अक्षांश- 291716.2 N देशान्तर- 783107.9 E)	
6.	प्रचालक	:	मानक	
7.	एस0ओ0टू0 (SO ₂) की सान्द्रता	:	54.0 µg/m ³	80.0 µg/m ³
8.	आर0एस0पी0एम0 की सान्द्रता	:	208.59 µg/m ³	100.0 µg/m ³
9.	एन0ओ0एक्स0 (NO _x) की सान्द्रता	:	59.0 µg/m ³	80.0 µg/m ³
10.	अन्य	:	-	

हवा की दिशा -पश्चिम से पूरब दिशा।

gosh
16-12-19
प्रयोग सहायक

Arul
16-12-19
वैज्ञानिक सहायक

A
16-12-19
क्षेत्रीय अधिकारी



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
1-ए/आई.एन.एस.-1, आवास विकास कालोनी,
बुद्ध विहार, दिल्ली रोड,
मुरादाबाद

परिवेशीय वायु अनुश्रवण डाटा एवं विश्लेषण आख्या

1.	उद्योग का नाम व पता	:	मैसर्स प्रियंका मार्डन सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल), मुरादाबाद-धामपुर रोड,, धामपुर, जिला-बिजनौर।
2.	उद्योग प्रतिनिधि का नाम	:	श्री डी0एस0 नेगी, प्रधानाचार्य
3.	उत्पादन क्षमता	:	---
4.	नमूना एकत्रण तिथि	:	05.01.2020
5.	नमूना स्थल	:	विद्यालय प्रांगण (अक्षांश-29.17162 देशान्तर-78.31079)
6.	प्रचालक	:	
7.	एस0ओ0टू0 (SO ₂) की सान्द्रता	:	42.0µg/m ³
8.	आर0एस0पी0एम0 की सान्द्रता	:	197.96 µg/m ³
9.	एन0ओ0एक्स0 (NO _x) की सान्द्रता	:	33.0µg/m ³
10.	अन्य	:	-

हवा की दिशा -पश्चिम से पूरब दिशा।

प्रयोग सहायक
02/01/20

वैज्ञानिक सहायक
07-01-20

क्षेत्रीय अधिकारी



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
1-ए/आई.एन.एस.-1, आवास विकास कालोनी,
बुद्ध विहार, दिल्ली रोड,
मुरादाबाद

परिवेशीय वायु अनुश्रवण डाटा एवं विश्लेषण आख्या

1.	उद्योग का नाम व पता	: मैसर्स धामपुर शुगर मिल्स लि0, धामपुर, जिला-बिजनौर।
2.	उद्योग प्रतिनिधि का नाम	: श्री योगेन्द्र सिंह, जनरल मैनेजर
3.	उत्पादन क्षमता	: आर0एस0, ई0एन0ए0 आदि 200कि0ली0/दिन
4.	नमूना एकत्रण तिथि	: 05.01.2020
5.	नमूना स्थल	: प्रशासनिक भवन (अक्षांश-29.17257 देशान्तर-78.30474)
6.	प्रचालक	
7.	एस0ओ0टू0 (SO ₂) की सान्द्रता	: 43.0µg/m ³
8.	आर0एस0पी0एम0 की सान्द्रता	: 159.66 µg/m ³
9.	एन0ओ0एक्स0 (NO _x) की सान्द्रता	: 36.0µg/m ³
10.	अन्य	: -

हवा की दिशा - पश्चिम से पूरब दिशा।

प्रयो० सहायक
21/1/20

वैज्ञानिक सहायक
21/1/20

क्षेत्रीय अधिकारी

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
1-ए/आई.एन.एस.-1, आवास विकास कालोनी,
बुद्ध विहार, दिल्ली रोड,
मुरादाबाद

परिवेशीय वायु अनुश्रवण डाटा एवं विश्लेषण आख्या

1.	उद्योग का नाम व पता	: मैसर्स धामपुर शुगर मिल्स लि०, धामपुर, जिला-बिजनौर।
2.	उद्योग प्रतिनिधि का नाम	: श्री योगेन्द्र सिंह, जनरल मैनेजर
3.	उत्पादन क्षमता	: आर०एस०, ई०एन०ए० आदि 200कि०ली०/दिन
4.	नमूना एकत्रण तिथि	: 05.01.2020
5.	नमूना स्थल	: निकट डी०एम० प्लाण्ट (अक्षांश-29.17270 देशान्तर-78.30505)
6.	प्रचालक	
7.	एस०ओ०टू० (SO ₂) की सान्द्रता	: 42.0 µg/m ³
8.	आर०एस०पी०एम० की सान्द्रता	: 182.12 µg/m ³
9.	एन०ओ०एक्स० (NO _x) की सान्द्रता	: 14.0 µg/m ³
10.	अन्य	: -

हवा की दिशा - पश्चिम से पूरब दिशा।

प्रयो०सहायक
07/01/20

वेज्ञानिक सहायक
07/01/20

क्षेत्रीय अधिकारी



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
1-ए/आई.एन.एस.-1, आवास विकास कालोनी,
बुद्ध विहार, दिल्ली रोड,
मुरादाबाद

परिवेशीय वायु अनुश्रवण डाटा एवं विश्लेषण आख्या

1.	उद्योग का नाम व पता	: मैसर्स धामपुर शुगर मिल्स लि०, धामपुर, जिला-बिजनौर।
2.	उद्योग प्रतिनिधि का नाम	: श्री योगेन्द्र सिंह, जनरल मैनेजर
3.	उत्पादन क्षमता	: आर०एस०, ई०एन०ए० आदि 200कि०ली०/दिन
4.	नमूना एकत्रण तिथि	: 05.01.2020
5.	नमूना स्थल	: ई०टी०पी० प्लान्ट (अक्षांश-29.17135 देशान्तर-78.30544)
6.	प्रचालक	
7.	एस०ओ०टू० (SO ₂) की सान्द्रता	: 23.0 µg/m ³
8.	आर०एस०पी०एम० की सान्द्रता	: 132.13 µg/m ³
9.	एन०ओ०एक्स० (NO _x) की सान्द्रता	: 17.0 µg/m ³
10.	अन्य	: -

हवा की दिशा - पश्चिम से पूरब दिशा।

6/1/20
प्रयो०सहायक

Anil K
07-01-20
वैज्ञानिक सहायक

A
क्षेत्रीय अधिकारी



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या: 4467-79

(11-1) 4467-79/2020

दिनांक: 24-1-2020

सेवा में,

1. मै0 धामपुर शुगर मिल्स (शुगर इकाई)
धामपुर बिजनौर।
2. मै0 धामपुर शुगर मिल्स (आसवनी इकाई)
धामपुर बिजनौर।

विषय : उद्योग द्वारा मानकों के अनुरूप वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं परिवेशीय वायु गुणता का मान निर्धारित मानकों के अनुरूप रखे जाने हेतु, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31ए के अर्न्तगत निर्देश।

यह कि मै0 धामपुर शुगर मिल्स (शुगर यूनिट) एवं आसवनी इकाई, धामपुर, बिजनौर, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

यह कि मै0 धामपुर शुगर मिल्स लि0 (शुगर इकाई), धामपुर, बिजनौर, मै0 धामपुर शुगर मिल्स लि0 (डिस्टलरी इकाई), धामपुर, बिजनौर के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-1007/2019, प्रियंका मॉडर्न सीनियर सैकेण्ड्री स्कूल बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं अन्य में दिनांक 13.11.2019 द्वारा निम्न आदेश पारित किये गये-

"Grievance in this application is against operation of boilers of distillery unit operated by M/s Dhampur Sugar Mills in District Bijnor, Uttar Pradesh. The same is affecting the health of the students in the vicinity.

Let the Uttar Pradesh State Pollution Control Board (UPSPCB) and the District Magistrate, Bijnor look into the matter, take action in accordance with law and furnish a factual and action taken report in the matter within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in.

A copy of this order be sent to the UPSPCB and the District Magistrate, Bijnor by e-mail for compliance.

The applicant may furnish a set of papers to the UPSPCB and the District Magistrate, Bijnor and file affidavit of service within one week.

List for further consideration on 27.01.2020."

यह कि मा0 अधिकरण के उपरोक्त पारित आदेश दिनांक 13.11.2019 के द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी, बिजनौर के कार्यालय आदेश दिनांक 18.11.2019 द्वारा संयुक्त जांच हेतु टीम का गठन किया गया है। उपजिलाधिकारी धामपुर बिजनौर, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी एवं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बिजनौर के अधिकारियों द्वारा मैसर्स धामपुर शुगर मिल्स लि0, धामपुर, बिजनौर (शुगर एवं आसवनी) एवं प्रियंका मॉडर्न सीनियर सैकेण्ड्री स्कूल, धामपुर, बिजनौर का संयुक्त निरीक्षण एवं अनुश्रवण दि0 10.12.2019 को किया गया।

यह कि मै0 धामपुर शुगर मिल्स लि0, धामपुर, प्रशासनिक भवन के परिवेशीय वायु गुणता का अनुश्रवण दिनांक 05.01.2020 को किया गया जिसमें पी.एम.-10 का मान 159.66 माइक्रोग्राम/घन मीटर पाया गया जो कि निर्धारित मानक 100 माइक्रोग्राम/घन मीटर से अधिक है।

यह कि मै0 धामपुर शुगर मिल्स लि0, धामपुर, डी0एम0 प्लान्ट के समीप के परिवेशीय वायु गुणता का अनुश्रवण दिनांक 05.01.2020 को किया गया जिसमें पी.एम.-10 का मान 182.12 माइक्रोग्राम/घन मीटर पाया गया जो कि निर्धारित मानक 100 माइक्रोग्राम/घन मीटर से अधिक है।

.....2

टी.सी 12 वीं, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ-226010
दूरभाष: 0522- 2720831,2720828,2720691,2720681
ई-मेल-info@uppcb.com

TC, 12 v. Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone: 0522- 2720831,2720828, 2720691, 2720681
e-mail: info@uppcb.com

(2)

यह कि मै0 धामपुर शुगर मिल्स लि0, धामपुर, ई0टी0पी0 प्लान्ट के परिवेशीय वायु गुणता का अनुश्रवण दिनांक 05.01.2020 को किया गया जिसमें पी.एम.-10 का मान 132.13 माइक्रोग्राम/घन मीटर पाया गया जो कि निर्धारित मानक 100 माइक्रोग्राम/घन मीटर से अधिक है।

यह कि प्रियन्का माडर्न स्कूल कैम्पस के परिवेशीय वायु गुणता का अनुश्रवण दिनांक 11.12.2019 को किया गया जिसमें पी0एम0 10 का मान 208.59 माइक्रोग्राम/घन मीटर पाया गया जो कि निर्धारित मानक 100 माइक्रोग्राम/घन मीटर से अधिक है।

यह कि प्रियन्का माडर्न स्कूल कैम्पस के परिवेशीय वायु गुणता का अनुश्रवण पुनः दिनांक 05.01.2019 को किया गया जिसमें पी0एम0 10 का मान 197.96 माइक्रोग्राम/घन मीटर पाया गया जो कि निर्धारित मानक 100 माइक्रोग्राम/घन मीटर से अधिक है।

यह कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बिजनौर के पत्र. दिनांक 14.01.2020 द्वारा उक्त संस्थानों के विधार्थियों एवं समीपवर्ती गांव के निवासियों के स्वास्थ्य सम्बन्धी जांच की रिपोर्ट प्रेषित की गई है जिसके अनुसार विवरण निम्नवत् है-

Health Examination result of Priyanka College of Professional Education(75 Students)-

- 1) Irritation in eyes found in 18 students.
- 2) Respiratory disease found in 1 student (Upper Respiratory Tract Infection)
- 3) Headache found in 3 students.
- 4) Cough found in 4 students.
- 5) Abdominal pain found in 1 student.
- 6) Body ache found in 1 student.

Health Examination result of Priyanka Sr. Secondary School and Priyanka College of Medical Science & Research Center (3010 Students)

- 1) Irritation in eyes found in 12 students.
- 2) Dyspnea (Respiratory problem) found in 3 students.
- 3) Headache found in 1 student.
- 4) Allergy found in 1 student.

Health Examination result of Villagers (155), nearby Industry

- 1) Eye irritation found in 6 villagers.

यह कि संयुक्त समिति द्वारा रिपोर्ट दिनांक 10.12.2019 हस्ताक्षरित 14.01.2020 में वर्णित है कि उद्योग मै0 धामपुर शुगर मिल्स लि0 के परिसर एवं प्रियन्का माडर्न स्कूल में सस्पेन्डेड पार्टिकुलेट मैटर का मान निर्धारित मानकों से अधिक पाये जाने के मुख्य कारण बैगास का अनियन्त्रित हथालन, वाहनों का आवागमन, फलाई ऐश का हथालन एवं राज्य हाईवे-49 के समीप अधिक वाहनों का आवागमन है। संयुक्त समिति द्वारा धामपुर शुगर मिल्स लि0 (शुगर एवं आसवनी इकाई) धामपुर, बिजनौर को निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाने की संस्तुति की गई है-

1. The operation and maintenance of air pollution control systems should be ensured by the industry in such a way so that the ambient air quality remains in accordance with the prescribed norms.

.....3

(3)

2. The industry should make permanent wall/structure of adequate height and automatic water sprinkler etc. to ensure dust control towards the Priyanka Modern School.
3. The conveyor belts of bagasse should be kept 100 percent covered, so that dust emission from this source may be maintained within prescribed limits.
4. The vehicles carrying fuel (bagasse) in the industry premise should be covered with green net /cloths.
5. It should be ensured by the industry that proper water sprinkling on the bagasse is to be done in such a way so that ambient air quality may be within prescribed limits.
6. Unit should be develop dense Green Belt of tree towards Priyanka Modern school boundary.
7. Industry should be operate in such a manner so that there is no adverse impact on the environment and public health in surrounding.

अतः माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 13.11.2019 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति की संस्तुतियों के दृष्टिगत मै० धामपुर शुगर मिल्स लि०, (शुगर एवं आसवनी इकाई), धामपुर बिजनौर को सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं-

1. यह कि उद्योग मै० धामपुर शुगर मिल्स की शुगर एवं आसवनी इकाईयों का संचालन बोर्ड से सहमति प्राप्त किये जाने के उपरान्त किया जाए।
2. यह कि उद्योग मै० धामपुर शुगर मिल्स की शुगर एवं आसवनी इकाईयों में स्थापित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का संचालन किया जाना इस प्रकार सुनिश्चित किया जाए जिससे परिवेशीय वायु गुणता प्रभावित न हो।
3. यह कि उद्योग मै० धामपुर शुगर मिल्स की शुगर एवं आसवनी इकाईयों द्वारा प्रियन्का माडर्न स्कूल की ओर स्थायी दीवार/स्ट्रक्चर समुचित ऊंचाई तक स्थापित किया जाना सुनिश्चित किया जाए एवं आटोमैटिक वॉटर स्पिंकलर की स्थापना की जाए।
4. यह कि उद्योग मै० धामपुर शुगर मिल्स की शुगर एवं आसवनी इकाईयों में बैगास के आवागमन हेतु कन्वेयर बेल्ट को शत-प्रतिशत कवर किया जाए।
5. यह कि उद्योग मै० धामपुर शुगर मिल्स की शुगर एवं आसवनी इकाईयों के बैगास यार्ड में समुचित जल छिड़काव किया जाए जिससे परिवेशीय वायुगुणता का मान निर्धारित मानकों के अनुरूप रहें।
6. यह कि उद्योग मै० धामपुर शुगर मिल्स की शुगर एवं आसवनी इकाईयों द्वारा प्रियन्का माडर्न स्कूल की ओर सघन ग्रीन बेल्ट का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या 30 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे। अनुपालन आख्या निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने अथवा सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में आपके उद्योग के विरुद्ध उक्त पर्यावरणीय अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग एवं उद्योग स्वामी का होगा।


(अमित चन्द्रा)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-7)

प्रतिलिपि-

1. जिलाधिकारी, बिजनौर को सूचनार्थ सादर प्रेषित
2. क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बिजनौर को इस निर्देश के साथ कि बोर्ड द्वारा जारी उक्त निर्देशों के क्रम में उद्योग का निरीक्षण करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करे।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-7)